


2022

जिला आपदा प्रबंधन योजना, गोपालगंज



आपदा नहीं हो भारी
यदि पूरी हो तैयारी..

जिला आपदा प्रबंधन योजना, गोपालगंज अनुक्रमणिका

विषय

पेज सं.

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan		
अध्याय 1	1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय	1
	1.2 उद्देश्य	6
	1.3 योजना का कार्यक्षेत्र	7
	1.4 योजना निर्माण पद्धति	9
	1.5 योजना का कार्यान्वयन	9
	1.5.1 मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व	9
1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	11	
जिले का परिचय District Profile		
अध्याय 2	2.1 ऐतिहासिक परिचय	12
	2.2 भौगोलिक विवरण	13
	2.2.1 वर्षापात	14
	2.2.2 वाट्र लेबल की स्थिति	14
	2.2.3 जनसंख्या विवरणी	14
	2.2.4 साक्षरता	15
	2.2.5 विद्यालयों की संख्या	15
	2.2.6 पशुपालन	16
	2.2.7 प्राकृतिक संसाधन	17
	2.3 परिवहन	18

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis

	3.1 जिला में विद्यमान खतरों का संभावित समय अवधि एवं इससे संवेदनशील क्षेत्र	19
	3.2 संभावित खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण	20
	3.2.1 बाढ़	20
	3.2.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	21
	3.2.1.2 बाढ़ से होने वाली क्षति	22
	3.2.1.3 बाढ़ प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधन	22
	3.2.2 भूकम्प	23
	3.2.2.1 जिला में भूकम्प से क्षति का अनुमान :	23
	3.2.2.2 गोपालगंज जिले में भूकम्प का इतिहास	24
	3.2.2.3 भूकम्प के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन	24
अध्याय	3.2.3 अग्निकांड	24
	3.2.3.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति	25
	3.2.3.2 अग्निकांड के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन	26
	3-2-4 otzikr	26
	3.2.4.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:	26
	3.2.4.2 वज्रपात के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन	27
	3.2.5 गर्मी/लू	27
	3.2.5.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति	28
	3.2.5.2 गर्मी/लू के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन	28
	3.2.6 शीतलहर	28
	3.2.6.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:	28
	3.2.6.2 शीतलहर/पाला के प्रबंधन के संदर्भ में में उपलब्ध संसाधन	28

3.2.7	सूखा	29
	3.2.7.1 सूखे के संकेतक	29
	3.2.7.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभाव	29
	3.2.7.3 सूखा के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	30
3.2.8	सड़क दुर्घटना	30
	3.2.8.1 प्रभावित क्षेत्र एवं दुर्घटनाएँ	33
	3.2.8.2 गोपालगंज जिले में चिन्हित दुर्घटना जनित स्थल:	33
	3.2.8.3 सड़क दुर्घटना के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	33
3.2.9	सर्पदंश	34
	3.2.9.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति	34
	3.2.9.2 सर्पदंश के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	34
3.2.10	नाव दुर्घटना/डुबने की घटना	34
	3.2.10.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः	34
अध्याय	3.2.10.2 प्रबंधन के संर्दभ में क्षमता/क्षमतावर्द्धनः	35
3	3.2.11 भीड़/भगदड़	35
	3.2.11.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः	35
	3.2.11.2 भीड़/भगदड़ के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधनः	35
3.2.12	महामारी (कोविड-19)	35
	3.2.12.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति	35
	3.2.12.2 महामारी (कोविड-19) के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	36
3.2.13	चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि	36
	3.2.13.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति	36
	3.2.13.2 प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन :	36
3.2.14	औद्योगिक दुर्घटना	36
	3.2.14.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षतिः	36
	3.2.14.2 औद्योगिक खतरा के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	36
3.2.15	जिला स्तर पर उभरते हुए स्थानीय खतरा	36
	3.2.15.1 उभरते हुए स्थानीय खतरा के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन	36

	संस्थागत ढाँचा Institutional Arrangement	38
अध्याय 4	4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायती राज संस्थाये 4.3 समुदाय आधारित संगठन : 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र	39 39 39 40
अध्याय 5	आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय Prevention, Mitigation and Preparedness Measures	42
	5.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड—मैप 5.2 जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य	42 44
अध्याय 6	संस्थागत क्षमतावर्द्धन (Institutional Capacity Building)	52
	6.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन 6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत 6.3 पेशेवर 6.4 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के प्रस्तावित विषय 6.4.1 पंचायत स्तरीय 6.4.2 प्रखंड स्तरः 6.4.3 जिला स्तर : 6.5. प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल 6.6 जागरूकता सृजन	52 52 52 53 53 53 54 54 55

	प्रत्युत्तर योजना Response Plan	56
	7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया	57
	7.1.1 Incident Response Commander का दायित्व	58
	7.1.2 जिला में हितधारकों एवं उनकी कार्ययोजना	59
अध्याय	7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य	60
7	7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण	62
	7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली	62
	7.3.2 कार्यों का निदेशन तथा समन्वय	63
	7.3.3 खोज, बचाव, राहत काय	64
	7.3.4 शव एवं मलवा निपटान	65
	पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति Reconstruction, Rehabilitation , Recovery	66
अध्याय	8.1 क्षति आकलन	67
8	8.2 पीड़ितों को राहत	68
	8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	69
	8.4 जीवन प्रदायी भवनों की	69
	बजट एवं वित्तीय संसाधन Budget and Financial Resources	70
	9.1 अधिनियम में प्रावधान	70
अध्याय	9.2 विभिन्न निधि स्रोत	70
9	9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम	70
	9.4 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।	72
	9.5 अन्य श्रोत	91

	अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण	92
	Monitoring Evaluation and Updation	
	10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	92
	10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराय	92
	10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन	92
	10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँ	93
	10.1.4 उपलब्ध संसाधन सूची को अद्यतन करना :—	93
अध्याय 10	10.1.5 नियमित मॉकड्रील द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच	93
	10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण	93
	10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन	94
	10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण	94
	10.1.9 समन्वय	94
	10.1.10 जन जागरूकता	94

अध्याय—०१

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना Disaster Management Act-2005 & District Disaster Management Plan

1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधी अध्याय :

अनुभाग(क)

भारत का राजपत्र असाधारण

आपदा प्रबंधन अधिनियम

2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या

उसके आनुशंगिक विशयों का उपबंध

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 04 के कांडिका:-

25.

- 1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
- 2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे अर्थातः—
 - (क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह—अध्यक्ष होगा: परन्तु संविधान की छठी अनुसूची में जैसी निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह—अध्यक्ष होगा;
 - (ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन;
 - (घ) पुलिस अधीक्षक, पदेन;
 - (ङ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;
 - (च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- 3) ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह—अध्यक्ष होगा।
- 4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

26.

- 1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे।
- 2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।
- 3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधरण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति उपधारा, (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

27. जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

28.

- 1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।
- 2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- 3) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भते संदत किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

29. राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

30.

- 1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
- 2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:-
 - (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;
 - (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;
 - (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गये हैं;
 - (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;
 - (v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हो;
 - (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा;
 - (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;
 - (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए

मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;

- (ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;
- (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक है;
- (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।
- (xii) जिले के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारीयों और स्वैच्छक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;
- (xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;
- (xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;
- (xv) जिला स्तर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;
- (xvi) किसी आपदा के आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;
- (xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;
- (xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकरी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;
- (xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;
- (xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उसकी मार्गनिर्देश दे सकेगा;
- (xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा;
- (xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;
- (xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जाँच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;
- (xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

- (xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;
- (xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दें सकेगा;
- (xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;
- (xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही हैं;
- (xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

31.

- 1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।
- 2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
 - (क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं;
 - (ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;
 - (ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;
 - (घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों—
 - (i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन;
 - (ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;
 - (iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;
 - (iv) संचार सम्पर्क की स्थापना; और
 - (v) जनता को सूचना का प्रसार;
 - (ड.) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।
- 4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।
- 5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- 7) जिला प्राधिकरण समय—समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए—

- (क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात्—
 - (1) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित हैं;
 - (2) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;
 - (3) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;

- (ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पण्धारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;
- (ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और
- (घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे।
- 33.** जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करें, जो आवश्यक हों और ऐसा अधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 34.** किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण—
- क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निर्देश दे सकेगा;
 - ख) अतिसंदेनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर के आवागन को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;
 - ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निबंधित कर सकेगा;
 - घ) मलवा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;
 - ड) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;
 - च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;
 - छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;
 - ज) जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;
 - झ) सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;
 - ज) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्हीं सुख-सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;
 - ट) अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निमार्ण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय है या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती है, ध्वस्त कर सकेगा;
 - ठ) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करें;
 - ड) ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-31(1) के अनुसार “राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।” जिसके अनुपालन में गोपालगंज जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।

इस योजना में जिला में संभावित प्राकृतिक अथवा मानवीय भूलवश उत्पन्न खतरों के विभिन्न स्वरूपों एवं इन खतरों की चपेट में आने वाले संवेदनशील समूहों/सम्पत्तियों का ब्योरा, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने अथवा आपदा मोचन की वर्तमान क्षमता का आकलन करते हुये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस योजना को विभिन्न स्तर के स्थानीय पदाधिकरीगण तथा अन्य हितधारकों से मिलकर तैयार किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह समेकित जिला आपदा प्रबंधन योजना को मुर्त रूप दे जिसे अनवरत अपनाया जा सके। यह आपदा जोखिम को रोकने तथा उसे कम करने (न्यूनीकरण) में सहायक हो। विभिन्न विकास के चरण में इसे इस तरह से सन्निहित किया जायेगा ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। आपदा न्यूनीकरण रोड-मैप के उद्देश्यों से तालमेल कर इसे अपनाया जाना जरूरी होगा।

गोपालगंज जिले में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आपदाएँ, इन आपदाओं का इतिहास, आपदाओं के दरम्यान किए गए प्रत्युत्तर (समुदाय/सरकारी), तत्कालीन एवं आज का आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव, इस स्तर पर किए गए अच्छे व्यवहार, उपलब्ध संसाधन एवं जोखिम विश्लेषण आदि से इस योजना को दृष्टि मिली और इसके उपरांत जिले का आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जा सका है। योजना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार, भागीदारी एवं समावेशी रहा, जिससे योजना को अधिकतम व्यापक बनाया जा सका है। योजना की पहुँच उस व्यक्ति तक ले जाने की है, जो सीधे आपदा से प्रभावित होता है। 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से सीधे वार्ता एवं अंतःक्रिया ने इसे सम्पूष्ट किया है।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है (Main Objectives) :

- जिले के मुख्य जोखिम तथा इन जोखिम से प्रभावित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- सभी सरकारी विभागों के सामंजित प्रयास से इन आपदाओं का निषेधीकरण तथा दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण।
- आपदा पूर्व तथा आपदा के समय एवं पश्चात् सभी हितधारकों के दायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण तथा उनका नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से करना।
- जिलान्तर्गत प्रभावित समूहों के बीच जोखिम का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्द्धन सुनिश्चित करना।
- यथोचित योजना बनाकर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण जन सुविधाओं तथा अंतःसंचनाओं की आपदा क्षति में कमी लाने का प्रयास करना।
- जिलान्तर पर प्रभावी तौर पर खोज, बचाव तथा प्रत्युत्तर कार्यों का संचालन हेतु एक व्यापक आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना।
- आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रमाणिक, तंत्र का विकास करना।
- पूर्व सूचना तंत्र की स्थापना करना ताकि हितधारकों को आपदा जोखिम का सामना करने के लिए तैयार किया जाए तथा सूचना का आदान-प्रदान प्रभावी ढंग से हो सके।
- जिला में सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर आपदा से निष्प्रभावी रहने वाली निर्माण प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा आपदा रोधी विकास के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।
- आपदा प्रबंधन में मिडिया का उपयोग करने के उपायों को सुदृढ़ करना।
- जिलास्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा आपदा से प्रभावित जनता के पुनर्वास की योजना बनाकर कालबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना।

1.3 योजना का कार्यक्षेत्र (Scope of the Plan) : आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में संपूर्ण गोपालगंज जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 25.62 लाख है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में यूनिसेफ तथा कई अन्य स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही हैं।


योजना बनाने के क्रम में जिन बातों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, उनमें निम्नांकित मुख्य है :—

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते हैं, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरों का चिह्निकरण, पुर्णप्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेले, बड़े—बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा को शामिल किया गया है।
4. लिंगीय मुद्दे आपदा प्रबंधन में महत्व के हो जाते हैं। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएँ गर्भवती होती हैं या इनके गोद में बच्चे होते हैं। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल हैं।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
6. वज्रपात, हाल के वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके संबंध में भी 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. हाल के वर्षों में नीलगाय/सुअर का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ा है। कुछ किसानों ने तो कुछ खास फसल लगाना ही छोड़ दिया और इस प्रकार आपदा का यह स्वरूप भी एक समस्या के रूप में उभर कर आया है।
8. इसके अतिरिक्त, आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र-संयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
9. आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए हैं।
10. योजना बनाने के क्रम में आकस्मिक एवं सबसे बुरी स्थिति का आकलन कर, आकस्मिक योजना की तैयारी की गई है। इस योजना में अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है।

1.4 योजना निर्माण पद्धति (Plan Development Methodology) :

योजना निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति (Methodology) : जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में “बॉटम अप” योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला से नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत—प्रखण्ड—अनुमंडल—जिला) जोखिम, खतरों एवं संवेदनशीलता की पहचान की गयी है। योजना की सामग्री मुख्य रूप में दो श्रोतों प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से एकत्रित की गई। योजना की सामग्री के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे महत्वपूर्ण विमर्श किये गये। साथ ही जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण कर हितधारकों से सीधा संपर्क भी स्थापित किया गया।

इस योजना के निर्माण के लिए अपनाई गई पद्धति, दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत है।



1.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन (Implementing DDMR) : इस जिले के लिए तैयार की गयी योजना की पूरी जिम्मेवारी जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी। इसके कार्यान्वयन में प्राधिकार के सदस्य, इस संबंध में गठित विशेष कमिटि तथा लाइन विभाग से सहयोग लिया जाना है। जिला के समक्ष खतरे, जोखिम से उत्पन्न होने वाली सभी संभावित आपदाओं से संबंधित निषेधीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर एवं पुर्नस्थापन के कार्यों का दायित्व होगा। उपर्युक्त विषयक कार्यों को आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में विभाजित कर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जायेगा। आपदा के पूर्व में पिछली घटनाओं का अवलोकन तथा उससे प्राप्त सीख को संधारित किया जायेगा। जबकि आपदा के दौरान पूरे जिले में की जाने वाली प्रत्युत्तर के कार्य को इस योजना में वर्णित जरूरी कदम तथा काल विशेष को देखते हुए अच्य किये जाने वाले उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न कार्यों के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त होगा ताकि समन्वय बना रहे। इसी प्रकार से आपदा के बाद पुर्नवापसी तथा पुर्नस्थापन के कार्यों को संचालित किया जायेगा तथा प्रभावित परिवार अपने घर को वापस लौट सके। सारी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराने में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 24 घंटे विभिन्न 'शिफ्ट' में कार्य करेगा।

जिले से संबंधित जिलाधिकारी इन्सिडेंट कमांडर होगें तथा उन्हीं की अनुमति से जिला आपदा प्रबंधन को सुचारू ढंग से लागू किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन योजना/मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंतराल पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

1.5.1 मुख्य हितधारक एवं उनकी भूमिका :

क्र.	स्तर	हितधारक समूह	कार्य	दायित्व
01	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति	आपदा प्रबंधन	तत्कालीन मुखिया
		ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति	खोज एवं बचाव	मुखिया एवं एस. डी. आर. एफ.
		ग्राम पंचायत प्राथमिक चिकित्सा समिति	प्राथमिक सहायता एवं प्राथमिक कीट की तैयारी	ए.पी.एच.सी. एवं रेड क्रॉस
		ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति	स्वच्छता एवं पेय जल	निर्मल भारत अभियान दल
		ग्राम पंचायत आश्रय एवं इवैकुरेशन दल	आश्रय स्थल की व्यवस्था एवं आपदा स्थल को खाली कराना	इंदिरा आवास योजना एवं स्थानीय विद्यालय के प्रभारी
		ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति	सामाजिक रूप से असुरक्षितों की पहचान एवं मदद	सामाजिक सुरक्षा विभाग
		ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	वार्ड के हित का कार्य	स्वतः निर्वाचित
		ग्राम पंचायत योजना एवं पोषण दल	भोजनादि की व्यवस्था	मध्याह्न भोजन दल
		ग्राम पंचायत बाल विकास एवं संरक्षण दल	बाल विकास एवं संरक्षण	आँगनवाड़ी टीम समेकित, बाल विकास परियोजना टीम
		ग्राम पंचायत शिक्षा दल	शिक्षा व्यवस्था	सर्व शिक्षा अभियान दल
02	प्रखंड स्तर प्रशासन संबंध	ग्राम पंचायत पशुधन समिति		
		ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति	पशुओं का टीकाकरण एवं चारे की व्यवस्था	पशुधन समिति अध्यक्ष
		स्थानीय थाना	आश्रय/राहत शिविरों की सुरक्षा	थाना प्रभारी
		कृषि विभाग	सुरक्षा/कृषि संपत्ति	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
		सहकारिता	पैक्स/सहकारी भवन	सहकारिता पदाधिकारी
03	संघीय स्तर प्रशासन	श्रम	श्रमिकों की स्थिति	श्रम निरीक्षक
		अग्निशमन	अग्निशमन की व्यवस्था	प्रखंड स्तरीय अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य संबंधी	प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी

		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल एवं हेलोजन टेबलेट	कनीय अभियंता
		खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता	खाद्यान्न की व्यवस्था	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा	आश्रय स्थल / राहत स्थल	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
		पशु एवं मतस्य	पशुधन सुरक्षा तथा मतस्य पालन	प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी
		जल संसाधन	सिचाई	कनीय अभियंता
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
		सांख्यिकी	वर्षापात एवं अन्य आकड़े	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी
		पंचायत राज	पंचायतों का सुसंचालन	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
		स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण	सड़क एवं भवन	कनीय अभियंता
03	जिला स्तर	आपदा प्रबंधन	समन्वय एवं मॉनिटरिंग	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी
		बाढ़ एवं जल निस्सरण	तटबंधों की सुरक्षा, जल स्तर की जानकारी लेना-देना	कार्यपालक अभियंता
		परिवहन विभाग	विभिन्न वाहनों एवं नावों की उपलब्धता	जिला परिवहन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल एवं स्वास्थ्य	शरण स्थलों की व्यवस्था तथा पेयजल के साथ स्वच्छता मानव दवा	कार्यपालक अभियंता, सिविल सर्जन
		पशुपालन	पशुचारा एवं पशु दवा	जिला पशुपालन पदाधिकारी
		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	चापाकल लगाना, मरम्मति क्लोरीन टेबलेट का देना तथा प्रयोग हेतु प्रशिक्षण	कार्यपालक अभियंता
		खाद्य विभाग / आपूर्ति	खाद्य का भंडारण तथा आपूर्ति	जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
		शिक्षा विभाग	आपदा संबंधी जागरूकता की पहल / जागरूकता के अन्य कार्यक्रम	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	प्रचार-प्रसार	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
		पंचायती राज	पंचायतों के काम काज की देखभाल	जिला पंचायत पदाधिकारी
		अग्निशमन	अग्निशमन के वाहनों की व्यवस्था	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
		स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ	असैनिक शल्य चिकित्सक
		पुलिस	शान्ति व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
		कृषि	कम पानी / जल्दी होने वाले फसलों की व्यवस्था	जिला कृषि पदाधिकारी
		सांख्यिकी	तथ्यों के रखरखाव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
		सहकारिता	भंडारण एवं आवासन	जिला सहकारिता पदाधिकारी
		जल संसाधन	जल व्यवस्था	कार्यपालक अभियंता जल संसाधन
		राजस्व एवं भूमि सुधार	भूमि संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराना	भूमि सुधार उप समाहर्ता
		शहरी विकास	शहरों का नियमित विकास	नगर निगम / नगर पंचायत आदि
		सामाजिक सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगों की देखभाल	प्रभारी उप समाहर्ता

		योजना एवं विकास	विकास एवं विकास की योजना	प्रभारी उप समाहर्ता
		डाक एवं संचार	सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संवाद	प्रबंधक डाक एवं तार
		भवन निर्माण	भवनों की स्थिति का नियमित पर्यवेक्षण / आकलन	अधीक्षक अभियंता
		भारत संचार निगम लिंगो	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		दूरसंचार के अन्य नीजि उपक्रम रिलायंस, एयरटेल आदि	दूरसंचार सुविधा बनाये रखना	प्रबंधक
		उद्योग	खतरनाक उद्योगों की सूची एवं देखभाल	जिला उद्योग पदाधिकारी
		श्रम संसाधन	उद्योगों की सुरक्षा के मुद्दे पलायित श्रमिकों की सूची का रखरखाव	जिला श्रम पदाधिकारी अधीक्षक
		उर्जा विभाग	बिजली की नियमित आपूर्ति	अधीक्षण अभियंता
		प्रिंट / इलेक्ट्रोनिक मीडिया	तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि पूर्ण तैयारी हो जाए	क्षेत्रीय संवाददाता
04	अन्य हितधारक समूह	निजी शैक्षिक संस्थाएँ	आवासन / राहत केन्द्र / भंडारण	प्राचार्य / स्वशासी निकाय
		एन.सी.सी.	राहत एवं बचाव में मदद	कमान अधिकारी
		रेड क्रॉस	प्राथमिक सहायता एवं अन्य सहायता	जिला सचिव
		अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएँ	विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं सहायता	प्रभारी अधिकारी
		विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संघ	स्वास्थ्य संबंधी सहयोग	अध्यक्ष / सचिव
		युवा संगठन	ब्वाव एवं राहत	अध्यक्ष / सचिव
		दलित एवं महादलित संगठन	विभिन्न प्रकार की सहायता	अध्यक्ष / सचिव
		नेहरू युवा केन्द्र	राहत एवं बचाव	जिला समन्वयक
		ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, नाव) संघ	विभिन्न प्रकार के सामग्री की व्यवस्था	अध्यक्ष / सचिव
		स्वयं सहायता समूह	सहयोग एवं सहायता	अध्यक्ष / सचिव
		अभियंता, राजमिस्त्री डिप्लोमाधारी, वास्तुकार	निर्माण एवं मरम्मति	
		निजी डॉक्टर, भूतपूर्व सैनिक एवं शिक्षक	स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार के मदद	संघ सचिव, अध्यक्ष
		इंटर एजेन्सी ग्रुप	समन्वय एवं सहयोग	अध्यक्ष / सचिव
		व्यावसायिक संघ एवं बाजार संघ	आवश्यक सामग्री की आपूर्ति	अध्यक्ष / सचिव
		राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया	प्रचार प्रसार	स्थानीय संवाददाता

1.6 योजना की समीक्षा तथा अद्यतन करना (Plan Review & Updation) : जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारकों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित करते हुये इसकी एक-एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के आलोक में प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा मोचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये मोचन कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्मुल्यांकण कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)

अध्याय-02

जिला का परिचय

INTRODUCTION OF DISTRICT

2.1 ऐतिहासिक : इतिहासकारों ने साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह स्थापित किया है कि यह स्थान वैदिक युग के दौरान विदेह के राजा के अधीन था। आर्य काल के दौरान एक अनुसूचित जनजाति वामन राजा चेरो ने इस स्थान पर शासन किया था। महाभारत काल के दौरान यह क्षेत्र राजा भूरीश्वा के अधीन था। 13वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के दौरान इस स्थान पर बंगाल के सुल्तान ग्यासुदीन अब्बास और बाबर का शासन था। उस समय के शासकों को किला, धार्मिक तथा सर्वाजनिक स्थल आदि बनाने का शौक रहा होगा, यही कारण है कि इस क्षेत्र में कई मंदिरे एवं अन्य सर्वाजनिक स्थल हैं। जैसे कि – थावे का दुर्गा मंदिर, मॉझा का किला, दिघवा दुबैली का वामन गांधी तालाब, सिरीसिया के राजा मलखान का किला आदि।

गोपालगंज, जो 1875 तक केवल एक छोटा सा गाँव था, उसी वर्ष पुराने सारण जिले का उपखंड बना दिया गया था। दिनांक 02 अक्टूबर 1973 को इसे एक जिला घोषित किया गया। वर्तमान में गोपालगंज जिला की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है :



प्रशासनिक व्यवस्था

• जिला मुख्यालय – गोपालगंज	• कुल अनुमंडल – 2	• कुल प्रखंड – 14
• राजस्व सर्किल – 14	• कुल नगर परिषद – 3	• कुल नगर पंचायत – 2
• कुल पंचायत – 234	• कुल गाँव – 1534	

2.2 भौगोलिक विवरण : गोपालगंज जिला, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर छोर पर एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से 83.54° – 85.56° अक्षांश एवं 26.12° – 26.39° देशान्तर के मध्य अवस्थित है। यह एक एक समतल एवं उपजाऊ भूक्षेत्र वाला जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 2033 वर्ग कि.मी. है। बिहार की राजधानी पटना से जिला मुख्यालय गोपालगंज की दूरी— 147 कि.मी. है। जिला के –

- पूरब में चम्पारण और गंडक नदी,
- पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला,
- उत्तर में पश्चिम चम्पारण एवं गंडक नदी
- दक्षिण में सिवान जिला है।



गंडक नदी, जो कि जिला की मुख्य नदी है, उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है। इसकी सहायक बरसाती नदियाँ झारही, खनवा, दाहा, धनही आदि हैं।

शीर्ष	विवरण
मिट्टी	मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी, बलुआही मिट्टी, क्षारीय मिट्टी एवं गंगाकारी मिट्टी इस जिले में पाए जाते हैं जो कृषि के लिए अच्छे हैं।
सिंचाई	<p>जिला में योजनाबद्ध सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है। जिला में सिंचाई प्रणाली के दो मुख्य स्रोत हैं : –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. गंडक नहर के दो प्रभाग <ol style="list-style-type: none"> क. सारण कैनाल डिवीजन, गोपालगंज ख. सारण कैनाल डिवीजन, भोरे 2. अन्य सरकारी नलिकाएं <p>जिला में कुल सिंचाई क्षेत्र 98,352 हेक्टेयर है। सिंचाई की ये दो व्यवस्थाएं जिला के कुल खेती योग्य भूमि क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम को ही सिंचित कर पाती है। किसान या तो मानसून या निजी सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं।</p>
फसलें	इस क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, चना, अरहर, सरसों जैसे सभी प्रकार के अनाज एवं फसलें पाई जाती हैं। लेकिन गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, तथा हरी सब्जियाँ जिला की मुख्य फसलें हैं। हलांकि जिला में अब मिश्रित फसल का प्रचलन बढ़ा है। गोपालगंज जिला, कृषि जलवायु क्षेत्र जोन IV (B) में आता है।
वनस्पति	गोपालगंज जिला हरित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला में बबूल, नीम, शिशम, आम, सागवान, कटहल, साल, शखुवा, पीपल, बरगद आदि लगभग सभी प्रकार के पेड़ – पौधे पाए जाते हैं।
वर्षा	गोपालगंज जिला अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। यहां नर अधिकांश वर्षा दक्षिण–पश्चिम मानसून के कारण होती है। आम तौर पर मानसून जून के तीसरे सप्ताह में जिले को छूता है और सितम्बर तक जिला में वर्षा होती रहती है। इस प्रकार अच्छी बारिश के कारण जिला में अच्छी खेती होती है। जिला में औसतन 1218 मि.मी. वर्षा होती है।
Source : https://gopalganj.nic.in/hi/कृषि	

2.2.1 वर्षापात :

सारणी – (2.1) जिले में वर्षापात की स्थिति :

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
सामान्य वर्षापात	1170.9	1170.9	1170.9	1170.9	1170.9
औसत वर्षापात	880.7	1313.2	1578.6	1339.7	414.67
औसत से कम	✓	—	—	—	✓
औसत से ज्यादा	—	✓	✓	✓	—

श्रोत: सारियकी विभाग, गोपालगंज

2.2.2 वाट्र लेबल की स्थिति :

सारणी – (2.2) जिले में वाट्र लेबल की स्थिति :

क्र०	वर्ष	Average water	Maximum water	Minimum water
		Level	Level	Level
01	2017	11'8"	12'1"	11'4"
02	2018	11'10"	12'7"	11'4"
03	2019	11'4"	12'3"	10'2"
04	2020	8'8"	12'2"	4'3"
05	2021	9'10"	12'7"	8'4"
06	2022	10'8"	14"4	6'9"

श्रोत: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, गोपालगंज

2.2.3 जनसंख्या :

जिले की जनसंख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से निम्नवत् है जो वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है।

सारणी – (2.3) जनसंख्या विवरण :

विवरण	वर्ष 2001	वर्ष 2011
जनसंख्या	21,52,638	25,62,012
पुरुष	10,75,710	12,67,666
स्त्री	10,76,928	12,94,346
जनसंख्या वृद्धि	26.11 प्रतिशत	19.02 प्रतिशत
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि.मी.	1059	1260
लिंगिय अनुपात (प्रति 1000)	1001	1021
कुल (0-6) वर्ष के बच्चे	4,33,668	4,49,530
(0-6) वर्ष के बच्चों की संख्या (बालक)	2,20,828	2,30,014
(0-6) वर्ष के बच्चों की संख्या (बालिका)	2,12,840	2,19,516

सारणी – (2.4) ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में :

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कुल जनसंख्या	23,99,207	1,62,805
कुल प्रतिशत	93.64%	6.35%
महिला जनसंख्या	12,14,240	82,699
पुरुष जनसंख्या	11,84,967	80,106
लिंगिय अनुपात	1021	1021
बच्चों की गणना (0-6) वर्ष	4,23,799	25,741
बालक(0-6) वर्ष	2,07,022	12,494
बालिका(0-6) वर्ष	2,16,767	13,247

सारणी – (2.5) प्रखंडवार पंचायतों की संख्या एवं जनसंख्या विवरणी :

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायतों की सं.	2011–जनसंख्या (लाख में)		
			कुल जनसंख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	बैकुंठपुर	22	2,17,165	23,880	2,376
2	सिध्वलिया	13	1,41,563	17,430	1,648
3	बरौली	23	2,21,999	25,321	892
4	मॉझा	20	1,99,452	26,506	3,097
5	गोपालगंज	16	1,52,188	19,220	3,689
6	थावे	11	1,16,106	15,544	2,967
7	कुचायकोट	31	3,32,041	40,957	10,895
8	विजयीपुर	13	1,33,038	20,538	4,306
9	भोरे	17	1,78,199	22,902	6,859
10	कटेया	11	1,10,637	16,896	3,423
11	पंचदेवरी	9	99,933	12,610	3,711
12	उचकागाँव	14	1,51,437	18,133	3,369
13	फुलवरिया	12	1,30,801	16,495	4,213
14	हथुआ	22	2,21,804	28,621	8,081

श्रोत : जनगणना 2011

2.2.4 साक्षरता :

सारणी— (2.6) जिले की साक्षरता :

साक्षरता दर	वर्ष 2001	वर्ष 2011
कुल जनसंख्या	21,52,638	25,62,012
साक्षरों की संख्या	8,16,173	13,82,998
पुरुष सक्षरों की संख्या	5,38,255	7,93,905
स्त्री सक्षरों की संख्या	2,77,918	5,89,093
औसत साक्षरता	33.27	53.98
पुरुष साक्षरता	65.94	62.63
महिला साक्षरता	34.05	45.51

श्रोत : जनगणना 2001 एवं 2011

2.2.5 विद्यालयों की संख्या :

सारणी – (2.7) विद्यालयों की संख्या :

विद्यालय की श्रेणी	प्राथमिक विद्यालय	मध्य विद्यालय	बुनियादी विद्यालय	उच्च विद्यालय
संख्या	1052	598	09	239
श्रोत : जिला शिक्षा कार्यालय, गोपालगंज				

2.2.6 पशुपालन :

सारणी— (2.7) 2017 में हुई पशु गणना के आधार पर पशुओं की संख्या :

क्र.सं.	प्रखंड	गाय	भैंस	बकरी	भेड़	कुकुट	बत्तख	सुअर	घोड़ा
1	बैकुंठपुर	33637	16549	30571	111	64000	0	200	46
2	सिधवलिया	13256	4907	11016	376	57250	0	234	37
3	बरौली	19589	6393	28044	75	114950	0	563	22
4	मॉझा	20998	7502	24240	42	178200	0	145	44
5	गोपालगंज	16848	5397	20366	25	66125	0	296	16
6	कुचायकोट	30850	8810	29041	50	139100	0	545	20
7	थावे	10063	2094	12325	0	63600	0	110	6
8	फुलवरिया	12755	4501	10249	0	145700	0	80	25
9	उचकागाँव	14223	5627	12559	2	71200	0	96	30
10	हथुआ	19188	6540	21317	95	163950	0	228	5
11	भोरे	18196	9185	18000	15	121600	0	174	11
12	कटेया	9499	4165	6403	3	28800	0	402	5
13	विजयीपुर	13308	7256	17459	0	28800	0	199	64
14	पंचदेवरी	9450	4088	8119	0	4900	0	100	9
कुल		241860	93014	249709	794	1248175	0	3372	343

(श्रोत : जिला पशुपालन कार्यालय, गोपालगंज)

क्र.सं.	न0पं0	गाय	भैंस	बकरी	भेड़	कुकुट	बत्तख	सुअर	घोड़ा
1	न0पं0 बरौली	2889	558	3886	0	0	0	88	0
2	न0पं0 गोपालगंज	1427	156	2022	0	0	0	16	0
3	न0पं0 मीरागंज	1019	377	1778	0	0	0	103	0
4	न0पं0 कटेया	1139	291	863	0	0	0	3	0
कुल		6473	1382	8549	0	0	0	210	0

(श्रोत : जिला पशुपालन कार्यालय, गोपालगंज)

इस जिले में पशु चिकित्सा के लिए निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध हैं :

- राजकीय पशु चिकित्सालय – 01,
- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय – 25,
- कृषि गर्भाधान केन्द्र – 19
- कुल पशु चिकित्सक – 13,
- कुल पशुधन सहायक – 04

2.2.7 प्राकृतिक संसाधन :

कृषि : गोपालगंज उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिला होने के कारण इस कृषि पर आधारित कई माध्यमिक और तृतीयक उद्योग हैं, जैसे कॉल्ड-स्टोरेज। गोपालगंज गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक जिलों में से एक है।

कृषकों की संख्या	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र
4,29,000	98,352 हेक्टेएर	64820.73 हेक्टेएर

श्रोत : जिला कृषि विभाग, गोपालगंज

वन: मैदानी इलाके के कारण, इस जिला के अंतर्गत बड़े वन अच्छादित क्षेत्र नहीं हैं लेकिन वर्ष 2010 से 2021 तक के ऑकड़े बताते हैं कि वन अच्छादन में लगातार बढ़ोतारी हुई है।


सारणी— (2.8) वन से अच्छादित क्षेत्रफल

क्र०सं०	वर्ष	वन से अच्छादित क्षेत्रफल
1	2010	4 वर्ग किमी०
2	2011	4 वर्ग किमी०
3	2012	4 वर्ग किमी०
4	2013	4 वर्ग किमी०
5	2014	4.5 वर्ग किमी०
6	2015	4.5 वर्ग किमी०
7	2016	5 वर्ग किमी०
8	2017	5 वर्ग किमी०
9	2018	5 वर्ग किमी०
10	2019	4.91 वर्ग किमी०
11	2020	4.91 वर्ग किमी०
12	2021	8.56 वर्ग किमी०

श्रोत : वन प्रमंडल, गोपालगंज

प्रमुख नदियाँ : गंडक, झारही, खानवा, दाहा, सोना।

गोपालगंज जिले के उत्तर एवं पूरब की तरफ बिहार की गंडक नदी 0.28 किमी० की ओसत ढाल के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अहिरौलीदान स्थान से जिले में प्रवेश करती है। जो जिला के पुर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। गंडक तटबंध के पास बड़े जलमग्न क्षेत्र को स्थानिय रूप से चौर और ताल के नाम से जाना जाता है। इस नदी के बांये तट पर गोपालगंज जिले का बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, मॉड्जा, गोपालगंज तथा कुचायकोट प्रखण्ड का हिस्सा अवस्थित है। अन्य छोटी नदियाँ (झारही, खानवा, दाहा, सोना) वर्षा के मौसम में बड़े भू-भाग को जलमग्न कर देते हैं। साथ ही रबी फसलों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम है।



नहरे : जिले की 09 मुख्य नहरें हैं जो विस्तृत भू-भाग के सिंचाई के लिए उपयोग होती हैं जो निम्नवत हैं—

सारणी— (2.9) मुख्य नहरे

क्र०सं०	नहर का नाम	नहर की लंबाई
1	सारण मुख्य नहर	0.0 से 171.27 आर०डी०
2	कटेया शाखा नहर	9.00 आर०डी०
3	गोपालगंज वितरणी	105 आर०डी०
4	थावे उप वितरणी	6.5 आर०डी०
5	भेड़िया लघु नहर	3.00 आर०डी०
6	चौराव लघु नहर	8.00 आर०डी०
7	सरेया नरेन्द्र लघु नहर	10.00 आर०डी०
8	विशुनपुर वितरणी	71.00 आर०डी०
9	सिध्वलिया वितरणी	51.6 आर०डी०

श्रोत : सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज

सारणी— (2.10) नलकूपों का विवरण :

क्र०	स्थिति	प्रखंडों की संख्या	पंचायतों की संख्या	हस्तचालिक नलकूपों की संख्या	द्विल्ड नलकूपों की संख्या	कुल नलकूपों की संख्या
1	कुल	287	14	143	286	287
2	बन्द	157	—	—	—	—

श्रोत : लघु सिंचाई प्रमंडल, गोपालगंज

भूमि: जिले के पूरे समतल भू-भाग को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

(क) जलोढ़ निम्न पथः— ये सबसे अधिक गंडक नदी के आस-पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो बाढ़ के पानी से समय-समय पर जलमग्न हो जाता है।


(ख) दियरा क्षेत्रः— बाढ़ के दौरान आमतौर पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गये रेत के अलावे और कुल नहीं होते हैं। यह गंडक नदी के तल में पाया जाता है। यह क्षेत्र उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर एक क्रमिक ढलान है। सामान्य ढलान 70.69mt MSL से 57.09mab MSL है।

उद्योग :

जिले में कुल 347 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिसमें से केवल 03 मध्यम स्तर एवं 344 लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। मध्यम स्तर के 03 इकाइयाँ निम्न हैं—

- विष्णु शुगर मिल, गोपालगंज।
- भारत शुगर मिल, सिध्वलिया। 3. सोनासति ऑर्गेनिक कम्पनी प्रांलिं, बैकुंठपुर।

2.8 परिवहन : इस जिले से होकर तीन रेलवे लाईन गुजरती हैं जो क्रमशः हथुआ, थावे, उचकागांव, फुलवरिया, पचदेवरी, कुचायकोट, गोपालगंज, माझा, बरौली, सिध्वलिया, बैकुंठपुर प्रखंड हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 100.90 किमी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28, 56.41 किमी० राज्य उच्च पथ एवं 380.65 किमी० अन्य मुख्य जिला सड़क का नेटवर्क पूरे जिले में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 537.96 किमी० है। इसके अलावे जिले में राज्य राजमार्ग भी परिवहन को मजबूत बनाती है।



=====

अध्याय—03

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis

गोपालगंज जिला अपने विशेष भौगोलिक एवं जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं यथा बाढ़, भूकम्प, सूखा, अग्निकांड, वज्रपात, सड़क दुर्घटना आदि के प्रति प्रवण है। जिला कई प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। भौगोलिक संरचना, जनसंख्या धनत्व में वृद्धि एवं जिला में स्थित कमजोर आधारभूत संरचनाएँ इसे संवेदनशील बनाती हैं।

3.1 जिला के विभिन्न खतरों (Hazards) के कालखंड एवं संवेदनशील (Vulnerable) क्षेत्र :

खतरा / माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसंबर	संवेदनशील प्रखंड
भूकंप	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सभी प्रखण्ड
बाढ़							■	■	■				बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज, कुचायकोट
सूखाड़							■	■	■				सभी प्रखण्ड
आग				■	■	■							सभी प्रखण्ड
गर्मी / लू					■	■	■						सभी प्रखण्ड
ओलावृष्टि	■	■	■										बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, सभी प्रखण्ड
शीतलहर	■											■	सभी प्रखण्ड
ठनका / वज्रपात							■	■	■				बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज, कुचायकोट, थावे, उचकागाँव, हथुआ, फुलवारिया, कटया, पंचदेवरी, भोरे, विजयीपुर।
सड़क दुर्घटना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	राष्ट्रीय एवं राज्यकीय उच्च पथ के निकटवर्ती क्षेत्र
औद्योगिक दुर्घटना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	भारत चीनी मिल सिध्वलिया, विण्णु चीनी मिल गोपालगंज, सासामुसा चीनी मिल एवं सोनासती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के निकटवर्ती गाँव यथा सिध्वलिया, गोपालगंज, सासामुसा एवं राजापट्टी एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों के निकट गाँव
भीड़ / भगदड़													थावे, हथुआ, डुमरिया एवं धार्मिक मेला आयोजन स्थल
स्वारथ्य / महामारी													सम्पूर्ण जिला
रेल दुर्घटना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	कुछ खतरनाक सम्पार चिह्नित है।
नाव / डुबान	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	गडक नदी, झरही, दाहा एवं अन्य नहरों के निकटवर्ती गाँव
सपंदंश	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सम्पूर्ण जिला

आपदा चिह्निकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, आवृत्ति तथा आपदा क्षति के आलोक में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

जिला	बाढ़	भूकंप	सूखा	आग	सड़क दुर्घटना	आद्योगिक दुर्घटना	ठनका / वज्रपात	ओला	सपंदंश	शीतलहर	गर्मी / लू	भीड़ / मेला	मानव – पशु संघर्ष	स्वारथ्य	रेल सुरक्षा	नाव / डुबाना
गोपालगंज	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

तीव्रता सूचक		
उच्च	मध्य	निम्न
■	■	■

3.2 संभावित खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण:-

जिला में घटित / संभावित खतरों के कालखंड, उसकी तीव्रता एवं संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पीछे के पेज पर तालिका के माध्यम से दर्शया गया है। जिला में घटित आपदाओं एवं आपदाओं के दौरान हुई क्षति तथा क्षति से बचने के लिए किये गये/जा रहे कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है।

3.2.1 बाढ़


गंडक नदी के कारण बाढ़, गोपालगंज जिला को प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदा है। बिहार के बाढ़ प्रवण जिलों में गोपालगंज भी एक बाढ़ प्रवण जिला घोषित है। गंडक नदी, उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के अहिरौलीदान से प्रवेश कर जिला के बैकुण्ठपुर अंचल के मटियारी तक (लगभग 80.50 किमी) प्रवाहित होती है, जो इस जिले के पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है। गंडक नदी के अलावे कुछ अन्य छोटी नदियाँ जैसे दाहा, झरही इत्यादि भी बरसात के दिनों में एक बड़े भू भाग को प्रभावित करती हैं।

इस जिले में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के बाद गंडक नदी में बाल्मिकि नगर ब्राज से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ना है। अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बॉधों एवं छरकियों पर अत्यधिक दबाव बनता है, जिसके कारण बॉध और छरकी टुट जाते हैं जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

सारणी:- (3.1) बाल्मिकि नगर ब्राज से अधिकतम डिस्चार्ज एवं बाढ़ की स्थिति (2017–21):

क्र०	वर्ष	अधिकतम डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	स्थिति
1.	2017	524500	बाढ़
2.	2018	189000	सामान्य
3.	2019	215100	सामान्य
4.	2020	436500	बाढ़
5.	2021	412000	बाढ़

स्रोत: जल संसाधन विभाग, बिहार



3.2.1.1 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

इस जिले के मुख्यतः छ: अंचल गडक नदी के द्वारा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ अन्य छोटी नदियों द्वारा भी अपने प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक पानी के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है।



सारणी:- (3.2) बाढ़ प्रभावित अंचल (2017–21):

वर्ष	प्रभावित अंचलों का नाम	प्रभावित पंचायतों की संख्या	प्रभावित गाँवों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या
2017	बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज, कुचायकोट	59	168	11950
2018	—	0	0	0
2019	—	0	0	0
2020	बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज,	66	201	99617
2021	बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज, कुचायकोट	13	34	30100

श्रोतः— आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज

3.2.1.2 बाढ़ से होने वाली क्षति

बाढ़ के कारण जिला में जन-जीवन एवं संसाधनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दैनिक कार्य के साथ-साथ विकास कार्य/योजनाएं भी अवरुद्ध हो जाती है। जानमाल, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं खाद्यापूर्ति, मूलभूत सेवाएं यथा यातायात एवं विद्युत व्यवस्था तथा कृषि को व्यापक क्षति होती है।

सारणी:- (3.3) बाढ़ से होने वाली मृत्यु एवं क्षति का विवरण (2017–21):

वर्ष	मृतकों की संख्या	गृह क्षति			फसल क्षति (लाख हेठों में)
		कच्चा	पक्का	झोपड़ी	
2017	23	457	358	4436	0.36
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	329	136	945	0.25
2021	0	0	6	133	0.12

श्रोतः— आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

3.2.1.3 बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- उपलब्ध संसाधन
 - देशी नाव (सरकारी) – 54
 - इन्फ्लैटेबल मोटर वोट – 05
 - पॉलीथीन शीट्स – 62196
 - टेन्ट – 52
 - महाजाल – 05
 - लाईफ जैकेट – 179
 - सेटेलाईट फोन – 04
 - बाढ़ प्रबंधन हेतु सभी उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (<http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict>) पर अद्यतन किया जाता है।
 - जिला में बाढ़ राहत बचाव हेतु एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ की प्रतिनियुक्ति की जाती है।
- प्रशिक्षित मानव संसाधन
 - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से समय-समय पर गोताखोर, कुशल तैराक एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- जागरूकता कार्यक्रम
 - प्रतिवर्ष 01 से 07 जून के बीच बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान जिला भर में जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा होर्डिंग, समाचार पत्रों में बाढ़ से बचाव के उपायों का प्रकाशन, रैली, पेंटिंग प्रतियोगिता एवं मॉक फ्रिल आदि विशेष रूप से आयोजित किये जाते हैं।
 - विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को एवं NDRF/SDRF/Fire Services के माध्यम से जनमानस में जागरूकता पैदा किया जाता है।

3.2.2 भूकम्प

गोपालगंज जिला भूकम्पीय जोन IV में अवस्थित है। भारत-नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण भूकम्प से यह जिला प्रभावित होता रहा है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि एवं भूकम्परोधी भवनों के निर्माण में तकनीकी ज्ञान में कमी के कारण खतरे की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जैसा कि दुनिया के कई भूकम्पों में देखा गया है कि भूकम्प में जानमाल की क्षति होने के कई कारक हैं जैसे कि -

- भूकम्प आने का समय
- निर्माण का प्रकार
- मकान के छत का प्रकार


3.2.2.1 जिला में क्षति का अनुमान : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1934 के भूकम्प की तीव्रता की काल्पनिक पुनरावृत्ति के तहत जिला में क्षति का अनुमान निम्न प्रकार है।

District (Seismic Zone IV)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability					Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages				
	nA(H)	nB(M)	nC1(L)	nC2(L)	Type X(VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives	Re- construction	Repairing	
											Unfavorable	Favorable		
Gopalganj	41,374	362,280	3,296	2,718	130,428	540,096	4,137	67,259	275,414	61,956	4,270	1,324	71,396	337,370
Katiya	2,554	19,794	116	168	7,369	30,001	255	3,895	15,065	3,374	250	77	4,150	18,439
Bijaipur	3,013	18,866	50	218	5,484	27,631	301	4,146	14,402	3,257	271	84	4,448	17,659
Bhorey	2,622	25,399	202	151	9,495	37,869	262	4,506	19,281	4,271	284	88	4,769	23,552
Pach Deuri	872	12,366	72	119	8,735	22,164	87	1,891	9,359	2,064	115	36	1,978	11,423
Kuchaikote	4,638	46,643	517	409	20,443	72,650	464	8,143	35,423	8,039	511	158	8,607	43,462
Phulwaria	1,783	18,776	82	123	7,292	28,056	178	3,215	14,236	3,104	201	62	3,393	17,340
Hathua	3,250	35,175	266	365	7,954	47,010	325	5,955	26,688	5,993	371	115	6,280	32,681
Uchhagaon	2,378	28,850	142	198	4,673	36,241	238	4,669	21,850	4,761	288	89	4,906	26,611
Thawe	2,412	18,836	197	124	3,323	24,892	241	3,693	14,340	3,247	237	73	3,934	17,587
Gopalganj	2,587	32,949	233	158	11,749	47,676	259	5,235	24,945	5,430	322	100	5,494	30,375
Manjha	2,532	27,367	513	193	10,212	40,817	253	4,636	20,786	4,824	289	90	4,889	25,610
Barauli	5,324	34,984	385	225	13,087	54,005	532	7,491	26,698	6,104	487	151	8,024	32,803
Sidhwalia	2,453	14,768	273	72	7,843	25,409	245	3,317	11,294	2,658	217	67	3,562	13,952
Baikunthpur	4,956	27,507	248	195	12,769	45,675	496	6,468	21,046	4,830	426	132	6,963	25,876

Type-A: Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
Type-B: Burnt Brick
Type-C1: Wood
Type-C2: Concrete
Type-X: Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.

- Damage grades :** Classification of Damage to Buildings
- G5 : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings)
 - G4: Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
 - G3 : Grade 3 - *Heavy damage* (Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
 - G2 : Grade 2 - *Moderate damage* (Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
 - G1 : Grade 1 - *Slight damage* (Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)


Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna



3.2.2.2 गोपालगंज जिले में भूकम्प का इतिहास

बिहार में आये बड़े भूकम्पों यथा

- दिनांक 23.10.1833— केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 07.10.1920—बिहार उत्तर प्रदेश सीमा,
- दिनांक 15.01.1934— केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 11.01.1962— केन्द्र भारत नेपाल सीमा,
- दिनांक 21.08.1988—केन्द्र भारत नेपाल सीमा एवं
- दिनांक 25, 26 अप्रैल 2015—केन्द्र भारत—नेपाल सीमा से गोपालगंज जिला भी प्रभावित रहा है।



3.2.2.3 भूकम्प के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन

- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से प्रखण्डवार कुल 389 राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
- बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के सहयोग से कुल 39 अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
- भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण सामग्री के संर्दभ में जागरूकता कार्यक्रम।
- प्रत्येक वर्ष 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकम्प सुरक्षा सप्ताह, विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार एवं NDRF/SDRF के माध्यम से समय—समय पर मॉकड्रील द्वारा बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है।
- जिला में उपलब्ध संसाधनों की सूची BSDRN (<http://bsdrn.bsdma.org/Frontend/equipDistrict>) पर अद्यतन किया गया है।

3.2.3 अग्निकांड

गोपालगंज जिले में घटित होने वाले बाढ़/सुखाड़/भूकम्प जैसी प्रकृति आपदा के अतिरिक्त आगलगी ऐसी गंभीर आपदा है, जिसके घटित होने पर न केवल सम्पति नष्ट होती है, अपितु बहुमूल्य जानें भी जा रही हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा चिन्हित अगलगी प्रवण जिलों में गोपालगंज का स्थान नहीं है। परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस जिले में अग्निकांड की घटनाएँ प्रमुखतः मार्च से मई के बीच होती हैं जब तापमान बढ़ने लगता है और पछुआ हवा तेज बहती है। शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी का प्रकोप अधिक रहता है। अग्निकांड की घटनाओं से जान—माल एवं जीविका के साथ साथ पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

जिले में अगलगी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं:

- ✓ बिजली का शॉर्ट सर्किट होना।
- ✓ चूल्हे की आग को नहीं बुझाना।
- ✓ बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यत्र—तत्र फेंक देना।
- ✓ जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है, वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/लीक होना।
- ✓ बिजली के उपकरणों के उपयोग में असाधारणी।
- ✓ बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- ✓ मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुओं करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना।
- ✓ फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- ✓ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।
- ✓ पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।
- ✓ भवनों (निजी, व्यावसायिक, सरकारी में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।

3.2.3.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:



इस जिले के सभी प्रखण्ड अग्निकांड से प्रभावित होते हैं तथा प्रतिवर्ष व्यापक क्षति होती है।

अंचलों की संख्या	पंचायतों की संख्या	गाँवों की संख्या
14	234	1534

सारणी— (3.4) गोपालगंज जिला में अग्नि कांड से हुए क्षति का विवरण (वर्ष 2017–21) :

क्र०	वर्ष	कुल घटना	मृत व्यक्ति	मृत जानवर	घायल व्यक्ति	घायल जानवर
1.	2017	61	08	03	16	0
2.	2018	84	0	18	0	0
3.	2019	173	12	9	6	2
4.	2020	53	0	6	3	1
5.	2021	70	0	7	6	1

श्रोतः— अग्निशमन सेवा, गोपालगंज।



3.2.3.2 अग्निकांड के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

■ उपलब्ध संसाधन

- अग्निशमन स्टेशन—02
- फयर टैंडर—04
- एम०टी० वाहन—10

■ जागरूकता कार्यक्रम

- प्रत्येक वर्ष 14 से 20 अप्रैल के मध्य अग्नि सुरक्षा सप्ताह, विद्यालयों सुरक्षित शनिवार, निजी संस्थाओं एवं NDRF/SDRF के माध्यम से समय—समय पर मॉकफ़्रील द्वारा बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से अगलगी से बचाव हेतु दिशा निदेशों का प्रचार—प्रसार किया जाता है।
- उर्जा विभाग द्वारा समय—समय पर शार्ट सर्किट से बचाव हेतु प्रचार—प्रसार किया जाता है।

3.2.4 वज्रपात

वज्रपात, वायुमंडल की विशेष परिस्थिति में बादलों एवं पृथ्वी की सतह के बीच होने वाला क्रमिक व लगातार विद्युत प्रवाह है। इस विद्युत प्रवाह की वजह से वायुमंडल में ऊपर से नीचे तक एक तीव्र प्रकाश के साथ तेज आवाज (गर्जन) उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह को बिजली गिरना या ठनका के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत प्रवाह की वजह से पास की वायुमंडलीय हवा का तापमान करीब 30,000 Kelvin (53,540°F 29726,85°F) तक हो जाता है। इतने ज्यादा तापमान की वजह से विद्युत प्रवाह के रास्ते में आने वाली हवा के आयतन में अचानक काफी विस्तार होने से तेज गर्जना के साथ आवाज उत्पन्न होती है। इस विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में आने से जन—माल की क्षति हो सकती है।


3.2.4.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

प्रत्येक वर्ष मानसून पूर्व एवं मानसून के दौरान सम्पूर्ण गोपालगंज जिला वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहा है। माह अप्रैल से जुलाई तक वज्रपात की घटनायें होती रहती हैं, जिससे मानव एवं पशु दोनों मृत या घायल होते रहते हैं।

सारणी:- (3.5) वज्रपात से हुई मृत्यु का विवरण (2017–22):

क्र०	वर्ष	मृतकों की संख्या
1.	2016	0
2.	2017	1
3.	2018	0
4.	2019	4
5.	2020	16
6.	2021	10
7.	जुलाई 2022 तक	8

श्रोतः— बिंएस०डी०एम०ए०, पटना एवं आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज



3.2.4.2 वज्रपात के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

वज्रपात पूर्व सूचना प्रणाली

- आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से अर्थ नेटवर्क या इन्ड्रवज एप के माध्यम से सभी हितधारकों को वज्रपात होने की संभावना वाले क्षेत्रों की सूचना एक घटे पूर्व ही एस०एम०एस० के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। इन्द्र वज एप मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा विकसित किया गया है। (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ejyle.forecast&hl=en_IN&gl=US)
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से वज्रपात से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।



3.2.5 गर्मी/लू

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मीया लू की संज्ञा दी जाती है। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40° सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते हैं।

गोपालगंज जिला मई माह में अपने भौगोलीक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी/लू जैसी प्रकृतिक आपदा से प्रभावित होता रहा है, जिसके कारण मानव एवं पशु स्वास्थ्य के साथ-साथ कृषि भी प्रभावित होती रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापमान मानचित्र दर्शाता है कि गोपालगंज जिला में अबतक संकलीत अधितम उच्चतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया है। तथा अधितम औसत तापमान 37 से 39 डिग्री सेन्टीग्रेट के बीच (मई महिने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधित यह डाटा बतलाता है कि गोपालगंज जिला में लू एवं गर्मी संबंधी जोखिम बना रहता है।

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर ने एक संयुक्त अध्ययन में देश के सभी जिलों का भीषण गर्मी तथा उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का मानचित्र



(HVI-Hazard Vulnerability Index) तैयार किया है। इस मानचित्र को तैयार करने में उन जिलों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण एवं पर्यावरणीय मुद्दों का ध्यान में रखा गया है। इस सर्वे के अनुसार गोपालगंज जिला श्रेणी-4 में आता है, जो सामान्य से कम माना जायेगा।

3.2.5.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

इस जिला के सभी प्रखण्ड गर्मी/लू से प्रभावित होते हैं। उष्णलहर के कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक बने रहने के कारण निम्नलिखित समुह ज्यादा प्रभावित होते हैं।

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग।
- संवेदनशील आयु समूह। (वृद्ध, बच्चे, कमज़ोर स्वास्थ्य वाले, लम्बी अवधि के बीमार)
- संवेदनशील महिलाएँ – गर्भवती एवं छोटे बच्चों वाली।

इस गर्मी और लू के कारण मानव एवं पशु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ (शरीर के अंगों में ऐंठन, अचेत होना आदि) उत्पन्न होती हैं। बढ़े तापमान के कारण स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले युवा वर्ग भी प्रभावित होते हैं।

3.2.5.2 गर्मी/लू के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित बिहार हीट वेभ एक्शन प्लान 2017 के निर्देशों के अनुरूप सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण/जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- स्थानीय सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से गर्मी/लू से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाया जाता है।

3.2.6 शीतलहर

जब सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता है एवं न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो तो उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। साथ यदि तापमान 0^0C से कम हो जाय या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहते हैं।

गोपालगंज जिला में सामान्यतः दिसम्बर से जनवरी के बीच तापमान में व्यापक कमी आती है जो कभी–कभी शीतलहर/पाला का रूप ले लेती है।

3.2.6.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

शीतलहर और पाला से अपने भौगोलिक संरचना के कारण सम्पूर्ण गोपालगंज प्रभावित होता है। मानव एवं पशु के स्वास्थ्य एवं कृषि को बड़े पैमाने पर क्षति पहुँचती है। शीतलहर में सबसे ज्यादा गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोग, वृद्ध अथवा कमज़ोर स्वास्थ्य वाले, कृषि उत्पादन एवं पशुधन, चिरस्थायी रूप से बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं।

3.2.6.2 शीतलहर/पाला के प्रबंधन के संदर्भ में में उपलब्ध संसाधन

जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखण्डों में विनिहत स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है।

- निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्तियों के आवासन के लिए राहत केन्द्रों का संचालन किया जाता है।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से शीतलहर/पाला से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- सर्वाजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाया जाता है।

3.2.7 सूखा

गोपालगंज जिला मानसून के परिवर्तन के कारण बाढ़ के साथ सूखा जैसी आपदाओं से भी प्रभावित रहता है, जिसके कारण समाज की आर्थिक समाजिक संरचना प्रभावित तो होती है। विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध होती है।

सूखे जैसी आपदा का मुख्य कारण वर्षापात में कमी, सिंचाई के साधनों यथा नहर नलकूप आदि का उचित प्रबंधन नहीं होना है। नहरों के अंतिम छोड़ तक पानी का नहीं पहुँच पाना तथा अधिकतम नलकूपों का बंद रहना सूखे की स्थिति को और भयानक बना देते हैं।

3.2.7.1 सूखे के संकेतक

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू-जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

सारणी:- (3.6) गोपालगंज में सूखे की स्थिति (2017–22):

क्र०	वर्ष	कुल वर्ष	कारण
	2017		
1.	2018	कुल 06 वर्षों में 03 वर्ष सूखे से प्रभावित	अल्पवृष्टि
	2022		

श्रोतः— जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज।

सारणी:- (3.7) विभिन्न वर्षों का वर्षापात आकड़ा (2017–22) :

क्र०	वर्ष	जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
		सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक
1.	2017	172.8	84.3	314.1	325.1	310.3	153.7	222.8	165.4
2.	2018	172.8	51.4	314.1	248.1	310.3	317.0	222.8	162.5
3.	2019	172.8	113.3	314.1	593.7	310.3	106.9	222.8	437.8
4.	2020	172.8	341.8	314.1	548.2	310.3	171.7	222.8	342.4
5.	2021	172.8	348.3	314.1	216.5	310.3	151.1	222.8	110.8
6.	2022	172.8	95.6	314.1	134.9	310.3	130.6	222.8	—

श्रोतः— जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज।

3.2.7.2 सूखे से प्रभावित क्षेत्र एवं प्रभाव:

अपने भौगोलिक संचरना एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति के कारण गोपालगंज जिले के दोनों अनुमण्डल सूखे से प्रभावित होते हैं। इस सूखे के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

- पेयजल संकट
- भू-जल स्तर में गिरावट
- फसल क्षति

सूखे के कारण कई अंचलों में कुओं, आहार, तलाब एवं नल सूख जाते हैं जिसके कारण पशु तथा फसल बूरी तरह से प्रभावित होते हैं। मैदानी ईलाका होने के कारण गोपालगंज जिले में भू-जल स्तर काफी निचे नहीं जाता है जिसके कारण मानव को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु सिंचाई की उचित साधन नहीं होने के कारण फसलों को व्यापक क्षति होती है।

3.2.7.3 सूखा के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन

- नहर एवं नलकूप— इस जिले में सारण नहर प्रमण्डल, भोरे एवं सारण नहर प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत कुल मुख्य 09 नहरों का नेटवर्क है। सारण मुख्य नहर के अतिरिक्त 264.1 आर०डी० अन्य नहरों का नेटवर्क है। इनके द्वारा बड़े भू—भाग को सिंचित किया जाता है।
- गोपालगंज जिले के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोपालगंज के द्वारा कुल 287 नलकूपों का स्थापन किया गया है, जिसमें 130 चालू हालत में एवं 157 यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण बंद है। नलकूप के माध्यम से लगभग 46.85 हेक्टेयर खरीफ / रबी फसल की सिंचाई की जाती है।
- जिले में अल्पवृष्टि के कारण फसल बचाने हेतु कृषि विभाग के माध्यम से डिजल अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही अत्यधिक अल्पवृष्टि के स्थिति में कृषि विभाग द्वारा आकास्मिक फसल योजना का भी किसानों के मध्य क्रियान्वयन किया जाता है।

3.2.8 सड़क दुर्घटना

गोपालगंज को प्रभावित करने वाले मानव जनित आपदाओं में सड़क दुर्घटना एक प्रमुख आपदा है। घनी आबादी के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं।

गोपालगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। जिले में 100.90 किमी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—28, 56.41 किमी० राज्य उच्च पथ एवं 380.65 किमी० अन्य मुख्य जिला सड़क का नेटवर्क पूरे जिले में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 537.96 किमी० है।

सारणी – (3.8) जिले में सड़क उपलब्धता :

क्रमांक	विवरण	
1.	प्रतिलाख जनसंख्या पर उच्च पथ एवं बड़ी सड़क की लम्बाई	20.99 किमी०
2.	एक हजार वर्ग किमी० के उच्च पथ पर बड़ी सड़क की लम्बाई	264.62 किमी०
3.	ग्रामीण सड़क की संख्या	349
4.	ग्रामीण सड़कों की लम्बाई	698.592 किमी०

श्रोत: पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज


सारणी (3.9) जिले में सड़क नेटवर्क (2022 जुलाई तक /लंबाई किमी० में)

जिला	राष्ट्रीय उच्च पथ	राज्य उच्च पथ	मुख्य जिला पथ
गोपालगंज	100.90 किमी०	56.41 किमी०	380.65 किमी०

श्रोत: पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज

ROAD DIVISION MAP DISTRICT - GOPALGANJ

0 8,000 16,000 Meters



ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR

ASL ADVANCED SYSTEMS (P) LTD. 70/1, MILLER ROAD, BANGALORE 560 052.
REPRODUCTION WITHOUT PERMISSION IS PROHIBITED. THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT

सारणी – (3.10) जिले में विभिन्न मुख्य सड़कों की लंबाई :

क्र०	कहाँ से कहाँ तक	लंबाई (कि०मी०)
1.	मीरगंज–भोरे	29.14
2.	भोरे–पगरा	20.70
3.	भोरे–कटेया	12.875
4.	कटेया–सेमरा	17.26
5.	कटेया–करकटहाँ	4.75
6.	मीरगंज–भागीपट्टी समउर	37.70
7.	छपरा–सलेमपुर (एस०एच०–53)	11.00
8.	एन०एच०–28–कोठरहवाँ लिंक रोड	2.60
9.	ससामुसा–बघुच	7.70
10.	बघुच–सेमरा–कोटनरहवाँ	15.00
11.	सिधवलिया–बलडीहा	6.50
12.	सिवान–बड़हरिया–सरफरा (एस०एच०–47)	17.60
13.	रतन सराय–नवादा	4.00
14.	मांझागढ़–आलापुर	1.50
15.	बरौली–कल्याणपुर	4.70
16.	सिधवलिया–झज्जावाँ	6.80
17.	हरखुआ–ख्वाजेपुर	8.80
18.	गोपालगंज–जादोपुर	6.55
19.	रतन सराय–नवादा–मांझागढ़	2.20
20.	एन०एच०–85 के लेफ्ट आउट पोरसन, चैनेज–92.00 से 88.460 (पार्ट–1) एवं चैनेज–75.90 से 80.75 (पार्ट–2) तक पथ निर्माण कार्य।	8.39
21.	बाबर अली पट्टोल पम्प बैकुण्ठपुर एन०एच० 101–सिसई सफियाबाद–धर्मवारी मिराटोला पकड़ी–सोनवलिया ढाला	11.99
22.	मैरवाँ–कुचायकोट	41.715
23.	जिगना–औराई	4.50
24.	मीरगंज भोरे रोड–एन०एच० 85 लिंक रोड	0.14
25.	हथुआ चीनी मिल रोड	5.40
26.	तमकुही–छितौनी रोड	8.00
27.	राजेन्द्र हाई स्कुल हथुआ–जिगना ढाला	8.28
28.	विशुनपूर–मंगलपुर पुल एप्रोच पथ	3.70
29.	हथुआ–सबेया लिंक रोड	3.00
30.	भागीपट्टी–बनकटा–कटेया	12.22
31.	गोपालगंज–बड़हरिया रोड	9.68
32.	मांझागढ़–धर्मपारसा रोड	8.20
33.	प्यारेपुर–आशा खेरा से हमीदपुर	10.90
34.	भेंगारी–मिश्रोली	29.00
35.	मांझी–बरौली (एस०एच०–96)	7.81
36.	एन०एच०–28 हजियापुर से सारण बॉघ	7.00
37.	महम्मदपुर–कर्णकुदरिया (एस०एच०–90)	20.00
38.	एन०एच०–28 कोइनी–गौसिया	9.50
39.	मंगलपुर–विशुनपुर ब्रिज पहुँच पथ	2.775
40.	जिगना–एन०एच०–27 गोपालगंज	24.3
41.	महम्मदपुर–हरदियाँ एन०एच०–101	14.35

श्रोतः पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज

3.2.8.1 प्रभावित क्षेत्र एवं दुर्घटनाएँ

गोपालगंज जिले से राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं अन्य प्रकार के पथों का घनत्व ज्यादा होने के कारण सम्पूर्ण जिला सड़क दुर्घटना से प्रभावित रहता है। मुख्यतः राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्यकीय उच्च पथ पर दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा पायी गयी है। जिले में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना की संख्या 155 थी, जो वर्ष 2021 में बढ़ कर 189 हो गयी। सड़क दुर्घटनाओं में यह वृद्धि सड़क सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है।

3.2.8.2 गोपालगंज जिले में चिह्नित दुर्घटना जनित स्थल:

वर्ष 2021 में चिह्नित दुर्घटना जनित स्थल जहाँ 10 से कम परन्तु दो या दो से अधिक सड़क दुर्घटना घटित हुई है।

एन०एच०-२७: बजरंग टॉकीज सासामुसा, ओवर ब्रीज सासामुसा, बेलबनवा सासामुसा, बंजारी, बसडीला, रामपुर से सदौवा, देवापुर से बढ़ेया मोड़।


एस०एच०-९०: दिघवा से दुबौली मोड़, रेवतिथ से रेवतिथ मोड़, जिगना ढाला से जिगना मोड़।

अन्य- सबेया मोड़ से लाईन बाजार मोड़, विशुनपुर कुटी।

सारणी – (3.11) जिले में घटित सड़क दुर्घटनाएँ (2017–22) :

क्र. सं.	वर्ष	कुल घटना	मृत	घायल
1	2017	155	129	48
2	2018	183	138	60
3	2019	198	173	43
4	2020	191	180	111
5	2021	189	141	135
6	जुलाई 2022 तक	167	156	93

श्रोतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गोपालगंज



3.2.8.3 सड़क दुर्घटना के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन

- प्रतिवर्ष जन जागरूकता हेतु आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज एवं परिवहन विभाग, गोपालगंज द्वारा निर्धारित समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है।
- पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा ब्लॉक स्पॉट के पास दुर्घटना के रोकथाम हेतु सूचना पट्टयों Zebra Crossing बनाया गया है।
- समय-समय पर गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमावली का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- दो पहिया वाहनों के चालकों को हेमलेट एवं चार पहिया वाहन के चालकों में सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

3.2.9 सर्पदंश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना के ज्ञापांक 1213/आ०प्र० दिनांक 24.03.2022 के द्वारा बाढ़ के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा के श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। गोपालगंज जिला भी इस आपदा से प्रभावित होता रहा है। मानसून के समय नदियों एवं तलाबों में अतिरिक्त पानी के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर आ कर उच्च और सूखी जगह के तलाश में रहता है, जिसके कारण सर्पदंश की घटनाएं बाढ़ जाती हैं।

3.2.9.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

मैदानी ईलाका होने के कारण सम्पूर्ण गोपालगंज सर्पदंश से प्रभावित होता है। मानसून अवधि के दौरान सर्पदंश के घटनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। सर्पदंश से दोनों मानव एवं पशुओं की क्षति होती है। वर्ष 2022 में जुलाई तक कुल 03 व्यक्तियों की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई है।

सारणी:- (3.12) सर्पदंश की घटनाओं की विवरणी (2017–2021):

क्र०	वर्ष	सर्पदंश की घटना
1.	2017	941
2.	2018	809
3.	2019	668
4.	2020	715
5.	2021	626

श्रोतः— सिविल सर्जन कार्यालय, गोपालगंज।

3.2.9.2 सर्पदंश के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम करने हेतु प्रतिवर्ष आकलन कर प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर Anti Snake Venom उपलब्ध कराया जाता है।

- मानसून अवधि में सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से सर्पदंश से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

3.2.10 नाव दुर्घटना/डुबने की घटना

जिला में नाव दुर्घटना/डुबने की घटना मुख्यतया नदियों, नहर तथा तालाबों में हुआ करता है। गंडक, झरही एवं दाहा आदि नदियों में मच्छली पकड़ने/चारे एवं कृषि कार्य हेतु नाव का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि लादान क्षमता से अधिक लादान के कारण एवं नाव चालक के लापरवाही के कारण नाव दुर्घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही नहरों एवं तलाबों में मच्छली पकड़ने के दौरान एवं मानवीय लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डुबने की घटनाएं होती रहती हैं।

इधर कुछ वर्षों से देखा गया है कि जे.सी.वी. द्वारा काफी मात्रा में मिट्टी कटाई के कारण बड़े गढ़े बन जाते हैं। जिसमें डुबने की संभावना प्रबल है। मनुष्य के अलावा इन गढ़ों में जानवर के डुबने की संभावना होती है। अतः इस तरह की संरचना भी संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

3.2.10.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

गंडक, झरही एवं दाहा आदि नदियों एवं सारण नहर एवं उसकी सहायक नहरों के तटवर्ती क्षेत्र, गाँवों में बड़े तलाब के नकटवर्ती क्षेत्र मानसून अवधि में बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।

पिछले दो वर्षों में कुल 36 व्यक्तियों की मृत्यु नाव दुर्घटना/डुबने के कारण हुई है।

सारणी:- (3.13) नाव दुर्घटना/डुबने के कारण मृत्यु (2021–22):

क्र०	वर्ष	मृतकों की संख्या
1.	2021	22
2.	जुलाई 2022 तक	14

श्रोतः— जिला आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज।

3.2.10.2 नाव दुर्घटना/डुबने की घटना के प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता/क्षमतावर्द्धन:

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना एवं आपदा प्रबंधन विभाग पटना के सहयोग से समय—समय पर सुरक्षित नाव परिचालन एवं गोताखोरों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- इस जिला में कुल 139 कुशल प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हैं।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई को जिला प्रतिनियुक्त किया गया है। छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा—नहान के दौरान सभी घाटों पर (जहाँ भीड़ ज्यादा होती है) गोताखोर, दंडाधिकारी, पूलिस बल की तैनाती की जाती है।
- सोशल मिडिया एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से नाव दुर्घटना/डुबने की घटना से बचाव हेतु सूचनाओं का प्रचार—प्रसार किया जाता है।

3.2.11 भीड़/भगदड़

गोपालगंज जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माँ दुर्गा मंदिर थावे, गोपाल मंदिर हथुआ, धनेश्वरधाम सिंहासनी, नारायणी रिवर फ़्लॅट आदि प्रमुख हैं। जिला में समय—समय पर बड़े धार्मिक मेले (छठ पूजा, दुर्गापूजा, महावरी अखाड़ा, मुहर्रम, कार्तिक पूर्णिमा—नहान आदि) का आयोजन किया जाता है। साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न महोत्सव (थावे महोत्सव, कर्ताधाम महोत्सव, नारायणी महोत्सव आदि) का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी भीड़ उमड़ती है। अत्यंत अत्यधिक भीड़ इक्कठा होने के कारण भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

3.2.11.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

भगदड़ की स्थिति में जान जाने का, अपंग होने का, प्रियजनों से बिछड़ने का एवं धायल होने की स्थिति बनी रहती है। जिला में प्रमुख पर्यटन स्थल, बड़े धार्मिक मेला स्थल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जिला में भगदड़ से अभीतक बड़ी क्षति नहीं हुई है। परन्तु खतरे की संवेदनशीलता बढ़ी है।

3.2.11.2 भीड़/भगदड़ के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन:

- जिला प्रशासन द्वारा भीड़/भगदड़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण किया गया है।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वाच्छता हेतु विशेष कोषांगों का गठन किया गया है।
- भीड़ प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों का समय—समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

3.2.12 महामारी (कोविड—19)

वैशिक महामारी कोविड—19 से गोपालगंज जिला भी अछुता नहीं रहा है। वर्ष 2020 से कोविड—19 के संक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। इस महामारी ने जिले के आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर गहरा असर डाला है। मानक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व इसके संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं।

3.2.12.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

इस महामारी के कारण सम्पूर्ण जिला प्रभावित हुआ है।

सारणी:- (3.14) कोविड—19 से प्रभावितों एवं मृतकों की संख्या:

क्र०	वर्ष	प्रभावितों की संख्या	मृतकों की संख्या
1.	2020	5027	30
2.	2021	10205	226
3.	जुलाई 2022 तक	1123	2

श्रोतः— सिविल सर्जन कार्यालय, गोपालगंज।

3.2.12.2 महामारी (कोविड-19) के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन :

- उपलब्ध संसाधन—
 - जिला स्तरीय अस्पताल—1
 - अनुमंडलीय अस्पताल—1
 - रेफरल अस्पताल—3
 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—11
 - अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र—23
 - स्वास्थ्य उप केन्द्र—186
- टिकाकरण— स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज द्वारा संघन टिकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
- जन जागरूकता अभियान— सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया, इलेट्रॉनिक मिडिया, जन जागरूकता रथ एवं नुककड़ नाटक के माध्यम से महामारी (कोविड-19) से बचाव हेतु क्या करे क्या न करे की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति गोपालगंज के सहयोग से सभी हितधारकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.2.13 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि

प्राकृतिक आपदा चक्रवाली तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में जिला को प्रभावित करती है। बिल्डिंग मेटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोसन कॉउसिल (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा जारी ‘वलनेरेबिलीटी एटलस ऑफ इंडिया में इस जिले को तेज तूफान झेलने की आंशका वाला जिला बताया गया है।

3.2.13.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

इसके कारण फसल क्षति (खाद्यान, सब्जी एवं आलू), आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/धायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से संपूर्ण जिला प्रभावित होता है।

3.2.13.2 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि के प्रबंधन के संर्दभ में उपलब्ध संसाधन :

- राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आने की पूर्व सूचना उपलब्ध करायी जाती है, जिसे हितधारकों में प्रचारित-प्रशारित किया जाता है।

3.2.14 औद्योगिक दुर्घटना

गोपालगंज औद्योगिक खतरों के प्रति संवेदनशील जिला है। जिला में कुल 347 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिसमें से केवल 03 मध्यम स्तर एवं 344 लघु उद्योग इकाइयाँ हैं। मध्यम स्तर के 03 इकाइयाँ निम्न हैं—

1. विष्णु शुगर मिल, गोपालगंज।
2. भारत शुगर मिल, सिध्वलिया।
3. सोनासति ऑर्गेनिक कम्पनी प्राओलिं, बैकुंठपुर।

इन औद्योगिक ईकाइयों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

3.2.14.1 प्रभावित क्षेत्र एवं क्षति:

इस औद्योगिक खतरे में बॉयलर फटना, जहरीली गैसों का स्त्राव एवं आधारभूत संरचनाओं के ध्वस्त होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके कारण मानव क्षति के साथ-साथ आर्थिक क्षति की प्रवल संभावना बनी रहती है। 20.12.2017 को सासामुसा चीनी मिल में बॉयलर फटने के कारण 06 मजदूरों की मृत्यु हुई थी तथा कई धायल हुये थे। औद्योगिक खतरों से औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले व्यक्ति एवं इकाइयों के समीप स्थित आबादी प्रभावित होती है। गोपालगंज जिला में भारत चीनी मिल सिध्वलिया, विष्णु चीनी मिल गोपालगंज, सासामुसा चीनी मिल एवं सोनासति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के निकटवर्ती गाँव यथा सिध्वलिया, गोपालगंज, सासामुसा एवं राजापट्टी एवं अन्य औद्योगिक ईकाइयों के निकटवर्ती गाँव औद्योगिक खतरों के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थल हैं।

3.2.14.2 औद्योगिक खतरा के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- उद्योग विभाग बिहार एवं स्थानीय औद्योगिक इकाईओं द्वारा नियमित समय अन्तराल पर बॉयलर जॉच हेतु प्रोफेशनलस की प्रतिनियुक्ति की गई है।
- औद्योगिक इकाईओं द्वारा औद्योगिक खतरों से निपटने हेतु समय—समय पर अपने हितधारकों के बीच मॉकड्रील / प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।


3.2.15 जिला स्तर पर उभरते हुए स्थानीय खतरा

डॉग/मंकी/जैकाल बाईटः— वर्तमान समय में डॉग/मंकी/जैकाल बाईट की बढ़ती घटनाएं उभरती स्थानीय खतरा के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। वर्ष 2017 से 2020 तक के आकड़े यह बताते हैं कि आने वाले समय में डॉग/मंकी/जैकाल बाईट में एक प्रमुख खतरा सिद्ध हो सकता है।

सारणी:- (3.15) डॉग/मंकी/जैकाल बाईट के मरीजों की संख्या (2017–21):

क्र०	वर्ष	डॉग/मंकी/जैकाल बाईट के मरीजों की संख्या
1.	2017	15094
2.	2018	11021
3.	2019	15043
4.	2020	21273

श्रोतः— सिविल सर्जन कार्यालय, गोपालगंज।



3.2.15 जिला स्तर पर उभरते हुए स्थानीय खतरा के प्रबंधन के संदर्भ में उपलब्ध संसाधन :

- जिला स्तरीय अस्पताल-1
- अनुमंडलीय अस्पताल-1
- रेफरल अस्पताल-3
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-11
- अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र-23
- स्वास्थ्य उप केन्द्र-186
- टिकाकरण— स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज द्वारा सघन टिकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
- समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है।


अध्याय : 4

संस्थागत ढांचा

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

गोपालगंज जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ अलग से जिला सड़क सुरक्षा भी गठित है। इसके साथ ही जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण—सह—निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रति संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष तैयारी की जाती है। जिला में आपदा प्रबंधन कोषांग एवं जिला आपातकालीन सेवा केन्द्र समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में किये गए कार्यों का विवरणी इस प्रकार है:



आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा—41 स्थानीय प्राधिकारों के कृत्य :

41(1) स्थानीय प्राधिकारों, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए –

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं।
- (घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।

41(2) स्थानीय प्राधिकार, ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

1. जिलाधिकारी	—	पदन अध्यक्ष
2. जिला परिषद् के अध्यक्ष	—	सह अध्यक्ष
3. पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
4. उपविकास आयुक्त	—	सदस्य
5. असैनिक शल्य चिकित्सक	—	सदस्य
6. वरीय अपर समाहर्ता	—	सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
7. जिला वरीयतम अभियंता	—	सदस्य

4.2 पंचायती राज संस्थाये :

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप-2030 में “रिजेलियेंट विलेज” की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर “फस्टर रिस्पॉडर” मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

चूंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद के कार्यों में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें “मास्टर ट्रेनर्स” बनाया है। “मास्टर ट्रेनर्स” की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट (<http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1>) पर उपलब्ध है।

4.3 आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन :

■ नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

नागरिक सुरक्षा की अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से अलग करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईया जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय कार्यालय, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के केवल चार जिले पटना, बैगूसराय, पूर्णिया एवं कटिहार में जिला कोर टीम कार्यरत है। गोपालगंज सहित अन्य 24 जिलों में कोर टीम का विस्तार विचाराधीन है।

■ बिहार राज्य नागरिक परिषद् –

बिहार राज्य नागरिक परिषद् के संदर्भ में पूर्व के सभी संकल्पों को अवक्रमित करते हुए मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं. मं0मं.0-02 / बिरा0रा0प0-502 / 03-1218 / सी0 दिनांक 14.06.2007 के द्वारा को पुनर्जीवित हुए पुनर्गठित किया गया है। इसका लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया है –

- (क) मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग तथा
- (ख) एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सदभाव कायम रखना।

इसके लिए बिहार राज्य नागरिक परिषद् का संगठन बनाते हुए त्रिस्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया जो निम्नवत है :

- राज्य स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद्
- जिला स्तर पर जिला नागरिक परिषद्
- थाना स्तर पर थाना नागरिक परिषद्

जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा तथा जिला स्तर एवं थाना स्तर पर जिला नागरिक परिषद् सुदृढ़ करने की आवश्यकता है दोनों ही संस्थाए आपदा की दृष्टि से पूर्व तैयारी, कैम्प संचालन तथा खोज-बचाव के कार्यों में उपयोगी हो सकते हैं।

■ जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र:

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र जिला मुख्यालय में अवस्थित है। आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपातकालीन सहायता कार्य (Emergency Support Function-ESF) हेतु टीम के सदस्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। टीम के सदस्य, निदेशानुसार सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करते हैं। आपदा के दौरान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को बेहतर तरीके से काम करना अति आवश्यक है। इसके लिए समयानुसार नई तकनीक एवं इससे प्रियुक्ति लोग एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है। ई.ओ.सी. की प्राथमिक जिम्मेदारी है समय, सही चेतावनी जारी करना। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला स्तर पर मौसम की पूर्वानुमान करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभागों एवं आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करती है। इस प्रकार इसके लिए आवश्यक है कि इसके संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत हो।

■ सामान्य समय में आपातकालीन संचालन केन्द्र के कार्य :

जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त रहते हैं। पदाधिकारी के देख-रेख में केन्द्र सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों करता है।

- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र सक्रिय हैं तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेंट्स से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/ चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मैकेनिज्म) को सक्रिय करना।

■ बिहार अग्निशमन सेवाएं :

अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों द्वारा अगलगी की घटनाओं के प्रति सचेत रहें साथ ही इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवाएं, सरकार के अन्य संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु तैयारियों के लिए मार्गदर्शिका तैयार किया गया है।

बिहार अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन की एक मौलिक ईकाई है जिसे अग्नि आपदा से बचाव एवं राहत कार्यों के साथ-साथ इससे संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को भी प्रमुखता से करना है।

जिला में कुल 16 फायर स्टेशन हैं। स्टेंगों पर विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। जिसकी सूची पृष्ठ 36 पर उपलब्ध है।

■ राज्य आपदा मोचन बल :

राज्य के किसी भाग में आपदा के आने पर खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के त्वरित निष्पान के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या -2/स्था-17-26/2008/698/आप्रो, दिनांक 16.3.2010 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force - SDRF) की एक बटालियन का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय बिहार, पटना है। अपने गठन के पश्चात काफी कम अवधि में ही इसने अपने आप को विभिन्न उपकरणों के साथ एक सशक्त आपदा मोचन बल के रूप में स्थापित किया है। जिला में इसकी एक टीम कार्यरत है जिसमें 32 लोग होते हैं।

एस.डी.आर.एफ की टीम ने आपदाओं के दौरान, विशेष कर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पान किया है। साथ ही छठ महापर्व, दुर्गा पूजा के दौरान मुर्ति विसर्जन एवं अन्य ऐसे आयोजनों, जहाँ काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण भगदड़/झूबने आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है

के अवसरों पर भी इस टीम ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावे टीम ने आपदा प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉक-ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

■ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :

बिहार राज्य की अधिसूचना सं 3449, दिनांक 06.11.2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-18 के अधीन यथा उपबंधित तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित कृत्य प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं।

आपदा प्रबंधन की योजनाओं और नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु प्राधिकरण के वेबसाइट (<http://bsdma.org/Home.aspx>) को देखा जा सकता है।

■ आपदा प्रबंधन विभाग :

बिहार, एक बहु- आपदा प्रवण राज्य है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का नोडल विभाग है, जिसे राज्य के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन का दायित्व है। यह विभाग आपदाओं एवं इसके जोखिमों से निपटने हेतु तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), सहाय्य (Relief), पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण (Rehabilitation & Reconstruction) हेतु उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य :

- आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को अधिक से अधिक सुदृढ़ करना।
- राज्य में होने वाले आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं इससे होने वाले क्षति को कम करने हेतु आवश्यक कार्य करना।
- आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्य तत्काल और पारदर्शी तरीके से करना।

इस संदर्भ में विशेष जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट (<https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html>) को देखा जा सकता है।

=====

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी के उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समर्यादा तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ ही उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में विभिन्न हितधारकों को कार्यों की पहचान की गयी है।

• निवारण / रोक थाम (Prevention) :

वर्तमान अथवा संभावित आपदा जोखिमों के रोक-थाम हेतु किये जाने वाले कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा। यह खतरनाक घटनाओं के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से पूरी तरह से बचने की अवधारणा एवं इरादा को व्यक्त करता है।

• न्यूनीकरण (Mitigation) :

खतरों के प्रतिकूल प्रभावों, विशेष रूप से कुछ प्राकृतिक खतरों (Natural Hazards) को अक्सर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विभिन्न रणनीतियों (Strategies) तथा उपायों (Measures) द्वारा उसके पैमाने (scales) या गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किये जाने वाले प्रयास को न्यूनीकरण कहा जाता है।

• तैयारी/तत्परता (Preparedness) :

तैयारी या तत्परता, आवश्यकता पड़ने पर यथा शीघ्र और उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य आपदा स्थितियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करना होता है।

5.0 आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड-मैप

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडर्ड, जापान में दिनांक 14 से 18 मार्च 2015 तक में आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेंडर्ड में हुए इस विश्व सम्मेलन से प्राप्त अनुभव एवं बिहार राज्य के बहु आपदा प्रवण होने के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 10.05.2016 को “बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015–2030” का राज्यादेश अधिसूचीत किया गया। आपदा सुरक्षित बिहार (Disaster Resilient Bihar) की परिकल्पना के संदर्भ में रोड मैप में निम्नलिखित चार लक्ष्यों रखे गए हैं :

1. वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।
2. वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल एवं नाव दुर्घटना) में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।
3. वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।
4. वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होने वाली क्षति में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में 50 प्रतिशत कम करना।

उपरोक्त लक्षणों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समयबद्ध (अल्पकालीन—2020 तक मध्यकालीन—2025 तक एवं दीर्घकालीन—2030 तक) करते हुए रोड मैप में शामिल किया है। इन क्रियाकलापों को बेहतर क्रियान्वयन हेतु पाँच विभिन्न हिस्सों में बाँटा गया है।

जो इस प्रकार है :

- **सुरक्षित ग्राम** (Resilient Village)
- **सुरक्षित शहर** (Resilient City)
- **सुरक्षित आजीविका** (Resilient Livelihood)
- **सुरक्षित बुनियादी संगाँ**
(Resilient Basic Services)
- **सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ**
(Resilient Critical Infrastructure)



- **सुरक्षित ग्राम** : सुरक्षित ग्राम से तात्पर्य है :

- ग्रामिणों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना
- गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से ग्रामिणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
- संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
- पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ग्रामिणों में लगातार क्षमता विकसित करना।

- **सुरक्षित शहर** : सुरक्षित शहर से तात्पर्य है :

- शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास करना,
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को शहर की विभिन्न योजनाओं में शामिल करना
- शहरी में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उसके माध्यम से शहर में आपदा जोखिम का विश्लेषण,
- संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना
- पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु शहरवासियों में लगातार क्षमता विकसित करना।

- **सुरक्षित आजीविका** :

- यह साधनों, गतिविधियों और अधिकारों के परस्पर क्रिया के रूप में परिकल्पित है। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले लोग ;
 - जोखिमों के विश्लेषण, पूर्व चेतावनी, जोखिमों में कमी, जोखिमों का हस्तांतरण या साझाकरण के माध्यम से आपदाओं एवं इसके कारण तनावों का अनुमान लगा कर सुनियोजित तरीके से इसका सामना कर सकते हैं।
 - प्रभावी योजना के माध्यम से लोग बढ़ी हुई क्षमताओं और अवसरों के साथ उबरने में सक्षम हो सकेंगे।
 - लोग बेहतर रोकथाम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के अनुकूल होने में सक्षम हो सकेंगे।
 - लोग आजीविका की दृष्टिकोण किसी प्रकार के आपदा जोखिम पैदा किये बिना वैकल्पिक आजीविका क्षमता और संपत्ति विकसित करने में सक्षम होंगे।

- सुरक्षित बुनियादी संवाएँ :** सुरक्षित बुनियादी संवाएँ से तात्पर्य है :
 - स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को आपदारोधी (Disaster Resilient) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के उपाय को बेहतर बनाना,
 - बुनियादी संवाएँ के प्रति आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित हितधारकों / सेवाओं का आवश्यकतानुसार क्षमता विकास/निर्माण/वर्द्धन करना
- सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :** सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ से तात्पर्य है :
 - सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना, तटबंध, दूरसंचार, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ आदि महत्वपूर्ण सेवाएँ जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदारोधी बनाने एवं आपदाओं के समय में, इन सेवाओं का अनवरत चालू रखने से है।

5.1 जिला स्तर पर आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी हेतु किए जाने वाले कार्य

उपरोक्त पाँच हिस्सों के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी इस प्रकार है:

सुरक्षित ग्राम			
क्र.ो.	सुरक्षित ग्राम हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग/संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	ग्राम स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, इन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग/संस्थाएँ यथा —	
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।	● आपदा प्रबंधन विभाग, ● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ● शिक्षा विभाग, ● ग्रामीण विकास विभाग,	
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।	● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ● जल संसाधन विभाग, ● कृषि विभाग, ● पशुपालन विभाग, ● ऊर्जा विभाग, ● पंचायती राज संस्थाएँ, ● पुलिस विभाग	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
4	ग्राम चेकलिस्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभागों, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (CSO) के कार्यकर्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।	● एस.डी.आर.एफ., ● स्वास्थ्य विभाग, ● पर्यावरण विभाग, ● परिवहन विभाग	
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, आगंनवाड़ी केन्द्र, मोबाइल टावर आदि में वज्जपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।	● बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन	● समाज कल्याण विभाग	
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना	● प्रशिक्षित स्वयंसेवक	
8	राजमिस्त्रियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण, गोताखोरों के लिए खोज एवं बचाव, आगंनवाड़ी सेविकाओं के लिए आपदाओं में क्या करें क्या न करें, ए.एन.एम., के लिए सी.पी.आर, होमगार्ड के लिए अफवाह प्रबंधन जैसे विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना		

सुरक्षित ग्राम

	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
9	ग्रामिणों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।		
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले गाँवों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।		
12	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
13	गाँवों में (खास कर सूखा प्रभावित) मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संचयन प्रणाली के निर्माण को सुनिश्चित करना।	● आपदा प्रबंधन विभाग, ● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ● शिक्षा विभाग, ● ग्रामीण विकास विभाग, ● जल संसाधन विभाग, ● कृषि विभाग,	जिला, प्रखण्ड
14	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।	● पशुपालन विभाग, ● ऊर्जा विभाग, ● पंचायती राज संस्थाएँ,	एवं
15	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।	● पुलिस विभाग	ग्राम
16	युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निःशक्तजन को शामिल करते हुए सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर, सुरक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना।	● एस.डी.आर.एफ., ● स्वास्थ्य विभाग,	
17	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।	● पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,	
18	नाव दुर्घटना के कारण होने वाले क्षति के प्रति नाव चालकों और समुदाय के लोगों को मॉडल नाव सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकत करना।	● परिवहन विभाग	
19	गर्मी के दिनों में पछुआ हवा चलने से पहले, आग की घटनाओं के रोकथाम एवं इसे नियंत्रित करने के लिए चेकलिस्ट के आधार पर उचित तैयारी सुनिश्चित करना।	● बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
20	आपदाओं के दौरान उचित देखभाल हो सके, इसके लिए बच्चों, बीमार, वृद्ध, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की सूची तैयार कर उसे अद्यतन करते रहना।	● समाज कल्याण विभाग प्रशिक्षित स्वंयंसेवक	

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।

सुरक्षित शहर

क्र०.	सुरक्षित ग्राम हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	शहर स्तर पर आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का ग्राम स्तर के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी.ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, शहर स्तरीय फंट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
2	सभी हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,	● शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र
3	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर शहरी आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) तैयार करना तथा चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन करना।	शहरी विकास एवं आवास विभाग,	
4	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (CSO), एन.जी.ओ. आदि के कार्यकर्ताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम सूचित विकास योजना (Risk Informed Development Plan) विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।	शहरी विकास विभाग, शिक्षा विभाग,	
5	सामुदायिक एवं सार्वजनिक भवन जैसे धार्मिक स्थल, कार्यालय भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, मोबाइल टावर, मॉल आदि में वज्रपात/ठनका से बचाव हेतु कंडक्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,	
6	आपदाओं की तैयारियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन	ऊर्जा विभाग,	
7	जागरूकता अभियान/कार्यक्रम को बढ़ावा देना	शहरी स्थानीय निकाय	
8	अभियंताओं, वास्तुविदों, सवेदकों, राजमिस्त्रियों, गृहस्वामियों के लिए आपदारोधी भवन निर्माण से संबंधित विषय पर विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना	योजना एवं विकास विभाग	
9	शहरी क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के तंत्र के प्रमुख तत्वों जैसे प्राकृतिक जल निकाय (नदी, तालाब, पोखर, नाला आदि), वृक्षारोपण क्षेत्र, वन एवं आर्द्रभूमि आदि की पहचान करना एवं ये सुनिश्चित करना कि इसका अतिक्रमण न हो। ऐसे मृत हो चुके प्राकृतिक संसाधनों/तत्वों के रेस्टॉरेशन के लिए योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्य करना।	पुलिस विभाग	
10	शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिह्नित करना एवं कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया हो तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सतत अभ्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन सुनिश्चित करना।	परिवहन विभाग	
11	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल जमाव के खतरे, उपलब्ध जल संसाधन, जल निकासी प्रबंधन प्रणाली (Drainage Mgmt System) के साथ साथ प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Drainage System) तथा शहरी बाढ़ एवं जल जमाव पर इन सभी के प्रभाव का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करना।	बिहार अग्निशमन सेवाएँ	

सुरक्षित शहर

क्र.ो.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
12	बाढ़ को लेकर उच्च जोखिम (High Risk) वाले क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर योजना (Planning) तैयारी (Preparedness) एवं प्रतिक्रिया (Response) आदि के लिए परिदृश्य आधारित बाढ़ मानचित्र (Scenario based inundation map) विकसित करना।		
13	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी	
14	बाढ़ एवं जल जमाव के जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) के आधार पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में वॉटर पंपस (Water pumps) और पम्पिंग स्टेशन की आवश्यकता का आकलन करना	ऑर्गनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
15	शहरी क्षेत्रों में उचित स्थानों पर वेस्ट वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ रिसाइकिलिंग प्लांट को स्थापित करना तथा प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न (Natural Drainage System) के साथ इसे एकीकृत करना।	● आपदा प्रबंधन विभाग, ● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,	
16	जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) एवं जोखिम सूचित योजना (Risk Informed Planning) जैसे विषयों पर संबंधित विभाग / संस्थाओं के अधिकारियों की व्यापक प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करना।	● शहरी विकास एवं आवास विभाग,	
17	नियमित अंतराल पर विभिन्न आपदाओं विशेषकर आग एवं भूकम्प का मॉक ड्रिल एवं विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार, विभिन्न एस.ओ.पी. और गाइडलाइंस का समीक्षा कर संशोधन करना।	● शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र	
18	शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त अग्निशमन उपकरणों और दमकल गाड़ियों को सुनिश्चित करना।		
19	भूकम्प की घटना के बाद मानव एवं पशु शर्वों का एवं ढांचागत मलबे (Infrastructural Debris) का निपटान (Disposal) के लिए क्षेत्र विशेष की पहचान कर चिन्हित करना।		
20	शहरी क्षेत्रों में आपदा से बचाव हेतु प्रभावी सूचना एवं जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है : <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न आपदाओं के लिए सुरक्षा सत्ताह का वृहद स्तर पर आयोजन / समय समय पर समाचार पत्रों, टीवी, एफ.एम रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा। जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति (घर, वाहन आदि), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के लिए समुदायों को बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित करना। 	● एस.डी.आर.एफ., ● स्वास्थ्य विभाग, ● पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ● परिवहन विभाग ● बिहार अग्निशमन सेवाएँ ● समाज कल्याण विभाग ● प्रशिक्षित स्वयंसेवक	
21	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।		
22	सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क के किनारे उचित एवं मानक साइनेज का होना सुनिश्चित करना।		
	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।		
नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।			

सुरक्षित आजीविका :

क्र०.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	मौजूदा और संभावित आजीविका समूहों जैसे कि लीची, फूल, सब्जी, मछाना, मधुबनी पैटिंग, कपास, रेशम, अगरबत्ती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री आदि के लिए आपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सौसाइटी ऑर्गनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फंड लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
3	आपदा के संदर्भ में विशिष्ट फसल पैकेज और तकनीकों के विकास में अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) के कार्यों को समर्थन एवं बढ़ावा देना। ऐसे कार्यों को विश्वविद्यालयों की प्रायोगिक भूमि में न कर, किसानों की भूमि पर प्रदर्शित करने को प्रोत्साहित करना।	● आपदा प्रबंधन विभाग, ● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ● शिक्षा विभाग, ● ग्रामीण विकास विभाग, ● जल संसाधन विभाग, ● कृषि विभाग, ● पशुपालन विभाग, ● ऊर्जा विभाग, ● पंचायती राज संस्थाएँ, ● पुलिस विभाग	जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम
4	आजीविका से संबंधित कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुट, बागबानी, पशुधन आदि के लिए नवाचारों एवं विस्तार प्रशिक्षण (Innovation & Extention training) के प्रदर्शन हेतु संबंधित हितधारकों द्वारा फील्ड स्कूल के स्थापना को बढ़ावा देना।	● एस.डी.आर.एफ., ● स्वास्थ्य विभाग, ● पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ● परिवहन विभाग ● बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
5	कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं इसके उचित रख रखाव को बढ़ावा देना।	● संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।	
6	बाढ़ या अत्यधिक वर्षा के दौरान मवेशियों की बीमारियों को रोकने के लिए मानसून पूर्व मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।	● पंचायती राज संस्थाएँ, ● प्रशिक्षित स्वयंसेवक	
7	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
8	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशुधन से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना एवं इसे नियमित रूप से अपडेट करना।		
9	स्थानीय आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (Village Disaster Management Plan) तथा इसके चेकलिस्ट के आधार पर इस योजना का मूल्यांकन में आजीविका को सम्मिलित करना।		
10	चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से आपदारोधी आजीविका के संदर्भ में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण एवं उसका क्षमतावर्द्धन करना।		
11	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		
12			

सुरक्षित आजीविका :

क्र०.	सुरक्षित ग्राम हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
13	आपदा के संदर्भ में सुरक्षित आजीविका से संबंधित अच्छी प्रथाओं एवं सफल केस स्टडी को साझा करना एवं प्रोत्साहन देना।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
14	बंजर भूमि (Wasteland) विकास, चारा विकास, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी और आर्द्र भूमि (Wetland) आदि से संबंधित गतिविधियों / कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।	● आपदा प्रबंधन विभाग, ● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ● शिक्षा विभाग,	
15	अचानक बाढ़ (Flash flood) के जोखिमों को कम करने के लिए जल निकासी विकास योजनाओं को बढ़ावा देना।	● ग्रामीण विकास विभाग, ● जल संसाधन विभाग, ● कृषि विभाग,	
16	राज्य कौशल विकास मिशन के सहयोग से युवाओं और महिलाओं के कौशल निर्माण और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यक्रम को बढ़ावा देना।	● पशुपालन विभाग, ● ऊर्जा विभाग, ● पंचायती राज संस्थाएँ,	
17	उपनगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में अपंजीकृत छोटे उत्पदाकों, विक्रेताओं और व्यापारियों के पंजीकरण हेतु तंत्र विकसित करना।	● पुलिस विभाग ● एस.डी.आर.एफ.,	जिल, प्रखण्ड
18	आजीविका के अवसरों के आकलन में ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण, आजीविका मूल्यांकन तथा मुआवजे के प्रावधान के कार्यान्वयन और निगरानी को बढ़ावा देना।	● स्वास्थ्य विभाग, ● पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ● परिवहन विभाग	एवं ग्राम
19	आपदाओं, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके एवं जिससे आजीविका प्रभावित होती हो जैसे बाढ़, वज्रपात, अगलगी, सड़क दुर्घटना, आदि को रोकने उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के उपायों का अपनाने का कार्ययोजना तैयार करना।	● परिवहन विभाग	
20	लोगों के बीच जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, फसल, पशुधन आदि के बीमा को लेकर गहन अभियान को बढ़ावा देना।	● बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
21	जागरूकता अभियान / कार्यक्रम को बढ़ावा देना	● समाज कल्याण विभाग	
22	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।	प्रशिक्षित स्वंयसेवक	
23	वैकल्पिक खेती के रूप में बागवानी संबंधी गतिविधियों का बढ़ावा देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।

सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ :

क्र.ो.	सुरक्षित ग्राम हेतू आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	बुनियादी सेवाओं से संबंधित संस्थानों जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आदि के संरचना निर्माण के दिशानिर्देशों (Guidelines) एवं डिजाइनों की समीक्षा कर बहु आपदा जोखिम (Multi disaster risk) की दृष्टि से संरचनात्मक सुरक्षा तत्वों का शामिल होना सुनिश्चित करें।	यूनिसेफ, एन. जी. ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, शहर स्तरीय प्रट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
2	स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ जोखिम विश्लेषण करना।		
3	जोखिम विश्लेषण के उपरांत संबंधित हितधारकों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए चेकलिस्ट विकसित करना।		
4	रेसिलिएंस इंडेक्स के आधार पर वर्तमान स्थितियों का निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का आकलन करना।	• आपदा प्रबंधन विभाग, • राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,	जिला, प्रखण्ड
5	निर्माण के कार्य आपदारोधी (भूकम्प/आग/ठनका आदि) के साथ साथ दिव्यांगजनों एवं पर्यावरण के अनुकूल हो को सुनिश्चित करना।	• शहरी विकास एवं आवास विभाग, • शहरी विकास विभाग • शिक्षा विभाग, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,	एवं ग्राम
6	विभिन्न श्रेणी जैसे मैटरनिटी, आर्थोर्पेडिक्स, चाइल्ड हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स आदि के अनुसार निजी, ट्रस्ट एवं सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहचान करना।	• डॉक्टर जनित एवं जल जनित बीमारियों सहित जैविक खतरों के प्रबंधन हेतु एस. ओ. पी. तैयार कर उसके अनुसार कार्यान्वयन करना।	
7	संबंधित विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय आपदा एवं जलवायु जोखिम विश्लेषण (Disaster and climate risk analysis) को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल करना।	• योजना एवं विकास विभाग • योजना विभाग • पुलिस विभाग • एस.डी.आर.एफ. • स्वास्थ्य विभाग, • परिवहन विभाग • बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
8	आपदाओं दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।	• प्रशिक्षित स्वयंसेवक	
9	आपदाओं दौरान प्रभावितों को पीने योग पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		
10	आपदाओं के दौरान प्रभावित समुदायों एवं पशुधन को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना।		
11	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Mgmt) के लिए एक प्रभावी कार्य योजना सुनिश्चित करना।		
12	आपदा प्रबंधन के संदर्भ में मानदंडों (Norms), दिशानिर्देशों (Guidelines), एस. ओ. पी. आदि के कार्यान्वयन पर सेवा प्रदाताओं, तकनीशियनों, पी.आर.आई एवं यूएलबी के कर्मियों तथा एसएचजी एवं अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करना।		
13	विभिन्न हितधारकों विशेष कर सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन एवं एन.जी.ओं के मदद से मॉक ड्रिल, आई.ई.सी. सामग्रियों, विज्ञापनों, नुकड़ नाटकों आदि के माध्यम से सुरक्षित बुनियादी सेवाओं पर सत्र जन जागरूकता सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना।		
14	सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (Public Infrastructure) और सामुदायिक संपत्तियों (Community assets) की तत्काल मरम्मति को प्राथमिकता देना।		

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।

सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ :

क्र.ो.	सुरक्षित ग्राम हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावित कार्य	कार्य में मुख्य रूप से सहायक विभाग / संस्थाएँ	कार्यान्वयन का स्तर
1	अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाओं को प्रभावित करने वाले मौजूदा एवं संभावित आपदा जोखिमों का संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आपदा जोखिम विश्लेषण करना।	यूनिसेफ, एन. जी.ओ., सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, शहर स्तरीय फ्रंट लाइन विभाग / संस्थाएँ यथा –	
2	आपदा जोखिम विश्लेषण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय जैसे पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण आदि के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।	● आपदा प्रबंधन विभाग,	
3	आधारभूत संरचनाओं कार्यों (Operational functions) के लिए नियमित अंतराल पर परीक्षण एवं मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।	● राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,	
4	आधारभूत संरचनाओं के कार्यान्वयन (Execution) से पहले प्रस्तावित कार्य निर्माण का जोखिम प्रभाव विश्लेषण (Risk Impact Analysis) को अनिवार्य बनाना।	● आपदा प्रबंधन विभाग,	
5	आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गों के साथ मौजूदा रोड नेटवर्क का मैप तैयार करना एवं लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित करना।	● शहरी विकास एवं आवास विभाग,	जिल, प्रखण्ड
7	बाढ़ नियंत्रण एस.ओ.पी. तथा तटबंध प्रबंधन दिशानिर्देश को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	● शहरी विकास विभाग	एवं
8	बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बैकअप और पुनः कार्यक्षमता (regaining) सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता योजना (Infrastructure continuity Plan) विकसित करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।	● शिक्षा विभाग,	ग्राम
9	खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) को चिन्हित कर, कारखना स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार "ऑन साइट" और "ऑफ साइट" आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा इस योजना के अनुमोदनापरांत सत्र अन्यास कार्य एवं समय समय पर मॉक ड्रील का आयोजन सुनिश्चित करना।	● लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,	
10	जागरूकता अभियान/ कार्यक्रम को बढ़ावा देना	● ऊर्जा विभाग,	
11	पौधारोपण को बढ़ावा देना एवं इसका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।	● शहरी स्थानीय निकाय	
		● योजना एवं विकास विभाग	
		● योजना विभाग	
		● पुलिस विभाग	
		● एस.डी.आर.एफ.	
		● स्वास्थ्य विभाग,	
		● परिवहन विभाग	
		● बिहार अग्निशमन सेवाएँ	
		● प्रशिक्षित स्वयंसेवक सेवक	

नोट : उपरोक्त कार्य के अलावे भी आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।

= = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

जिला आपदा प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तथा जोखिम निषेधीकरण एवं न्यूनीकरण के कार्यों को बनाये रखने के लिए इसके क्रियान्वयन में नियोजित सभी हितभागी/ सह कर्मियों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्द्धन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हितभागियों तथा नियोजित कर्मियों के कौशल को मजबूती प्रदान करना होगा तथा निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। सुचारू आपदा प्रबंधन के लिए सरकार, समुदाय तथा सहयोगी संस्थाओं सभी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा के विभिन्न आयामों के प्रति अवधारणा (Concept), जानकारी (Information), कौशल (Skill), दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जा सकेगा।

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

सतत के कार्य आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के लोगों एवं उनके माध्यम ये प्रशिक्षण एवं जागरूकता के कार्य होते रहे। संस्थागत क्षमतावर्द्धन के क्षेत्र में

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण कार्य लगातार किये जा रहे हैं। प्रशिक्षितों की सूची प्राधिकरण के वेबसाइट (<http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1>) पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु-आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमतावर्धन के किया जा रहा है जिसे आगे भी आवश्यकतानुसार संशोधन कर करते रहने की आवश्यकता है। ऐसे क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों से आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को समस्य साहाय्य उपलब्ध कराने में सहायित हो।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित एवं जागरूक होना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय समुदाय को ही 'फर्स्ट रिस्पॉडर' के रूप में देखा जाता है इसलिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर अन्य पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहें। इस संबंध में बि.रा.आर.प्र.प्रा. द्वारा तैयार मुख्या सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका को देखा जा सकता है।

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं एवं राजमिस्ट्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में फोकल शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ ही प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षितों द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत अन्य संस्थाओं (सरकारी/गैर-सरकारी) के सहयोग से प्रखंडों तथा पंचायतों में इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते रहने की आवश्यकता बनी रहेगी।

6.4 क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण के प्रस्तावित विषय :

क्षमतावर्द्धन विभिन्न स्तरों पर होने वाली एक सत्र प्रक्रिया है।

6.4.1 पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र.	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	<ul style="list-style-type: none"> ● मुखिया ● वार्ड सदस्य ● सामुदायिक संगठन 	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। पंचायत की विकास योजना / मनरेगा योजना एवं निर्माण के कार्यों में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण। आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी। स्थानीय आपदा एवं इसने बचने के उपाय।
02	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल / कॉलेज 	<ol style="list-style-type: none"> स्कूल आपदा प्रबंधन कार्य योजना विषय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण। आपदाओं से बचाव के उपाय समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार एवं गुरुवार कार्यक्रम का संचालन।
03	<ul style="list-style-type: none"> ● आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका ● आशा कार्यकर्ता 	<ol style="list-style-type: none"> बच्चों का कुपोषण से बचाव। आपदाओं के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थानीय राजमिस्त्री / शर्टरींग मिस्त्री / बार बार्झर / मेठ 	भूकंपरोधी भवन निर्माण सत्र जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम

6.4.2 प्रखंड स्तर: प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों/गाँवों के प्रबुद्ध लोगों को प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र.	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) ● कृषि सलाहकार 	<ol style="list-style-type: none"> आपदा, आपदा के प्रभाव एवं आपदा प्रबंधन के उपाय पर प्रशिक्षण। जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव की जानकारी। मौसमीय कृषि एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं इसके फायदे।
02	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत सचिव ● विकास मित्र 	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न समुदायों का आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण। आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, एवं संभावित खतरों का आकलन, क्षमतावर्द्धन के उपाय। लेखा संधारण।
03	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम कचहरी/न्याय मित्र 	आपदा प्रभावितों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ प्रशिक्षण।
04	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थानीय राजमिस्त्री, शर्टरींग मिस्त्रियों, बार बार्झर आदि 	भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण।

6.4.3 जिला स्तर :

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम :

क्र.	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ol style="list-style-type: none"> आपदा प्रबंधन अधिनियम—2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। इंसिडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम। आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम — बहु—आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। संचार माध्यम। राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ. /एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग वायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में। समय समय पर मॉक ड्रील के कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर विभिन्न पेशेवर समुदायों का विषयवार प्रशिक्षण। अभियंताओं/राजमिस्त्रियों/संवेदकों/बार बाइन्डर/शटरींग मिस्त्रियों आदि का भूकंपरोधी भवन—निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज पर प्रशिक्षण। विभिन्न आपदाओं के बारे संबंधित हितधरकों का प्रशिक्षण। जिला में हो रहे एवं होने वाले विकास कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलूओं को समावेश करना। जिला आपदा प्रबंधन योजना

6.5. प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module):

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी के प्रति समाज के विभिन्न स्तरों पर सजगता लाई जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षित लोगों की सूची जिला के बेवसाइट के साथ साथ प्रखण्ड कार्यालय में भी आम जनों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह दायित्व है कि प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉस कार्य में उपयोग करें।

■ प्रशिक्षित लोगों की सूची (List of Trained Persons) :

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षित लोगों की सूची प्राधिकरण के बेवसाइट <http://bsdma.org/Training-Workshops.aspx?id=1>
-
-
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु जिला में प्राशिक्षण प्राप्त 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सूची।
- प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची।
- भूकंपरोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, राजमिस्त्रीयों की सूची।
- भूकंपरोधी मकान से संबंधित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

- मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों हेतु जिले का 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।
- पशुचिकित्सा सेवा पदाधिकारियों द्वारा 'आपदा में पशुओं का प्रबंधन' विषय में प्राप्त प्रशिक्षित लोगों की सूची।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित 'मास्टर ट्रेनर्स' की सूची।

■ प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Module) :

- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु (हस्त पुस्तिका-1), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण- 2018
- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल-इन-इमरजेंसी- ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका-जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका-नवम्बर 2017
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर (मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका) फरवरी 2018
- सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल-2017
- नौकाओं के सर्वेक्षण निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण मॉड्यूल ।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में जिले में उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों एवं अन्यों सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में जिले में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण मॉड्यूल का सहारा लिया जायेगा, साथ हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

6.6 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई.ई.सी। सामग्री, नुक़द नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेगें।

विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील जिला, प्रखंड तथा पंचायत में गठित आपात्कालीन संचालन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियों तथा सहायक एजेंसियों के नोडल पदाधिकारियों को जन-जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव-सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये हैं।

= = = = =

अध्याय : 7
प्रत्युत्तर योजना
RESPONSE PLAN


आपदा की शुरूआत होने पर इससे निपटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करण, प्रशिक्षित कार्मियों तथा समन्वित प्रयासों का जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा के पूर्व सूचना तथा इसकी त्रीवता तथा विस्तार का अनुमान होते ही मोचन तंत्र स्वतः स्फूर्त कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमि का अदा करने में प्रवृत्त हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबंल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई छूक न हो जाये।

आपदाएं, विकास में बाधा डालती है। आपदाओं के प्रबंधन में कार्य करने के लिए प्रशासनिक ढांचे, नागरिक समाज एवं इसके विविध संस्थानों की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन में शामिल होने वाले क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति एवं प्रकार पर भी निर्भर होते हैं। यह देखा गया है कि आपदाओं के समय में, संसाधनों की कमी के अलावा, विविध एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी होती है तथा विविध हितधारकों के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता के अभाव में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि कार्रवाई सुनियोजित हो साथ ही हितधारक प्रशिक्षित हों, तो कार्रवाई सहज एवं प्रभावी होगी।

उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकरा द्वारा Incident Response System (IRS) विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विविध कार्यभारों (ड्यूटियों) को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पूर्व-पदनामित करना तथा साथ ही साथ उनको उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना है।

यह वास्तविक घटना प्रबंधन के दौरान अव्यवस्था तथा संभ्रम/व्याकुलता को कम करने में मदद करता है। यह प्रणाली परिकल्पना करती है कि भूमिकाओं एवं कार्यों को पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, कार्मिकों को चिह्नित किया जाएगा तथा उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रणाली की कई लाभप्रद विशेषताएं हैं जैसे

- कमांड की एकता एवं शृंखला,
- संगठनात्मक लचीलापन,
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व / जवाबदेही,
- एकीकृत संचार,
- योजना एवं व्यापक संसाधन संग्रहण, परिनियोजन एवं असंग्रहण,
- सूचना प्रबंधन,
- गतिविधियों का समुचित प्रलेखन,
- मीडिया प्रबंधन एवं
- एजेंसी समन्वयन।



ज्यों ही Incident Commander के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे Incident Commander के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)

Incident Commander द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते हैं उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना देते हैं और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते हैं।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग— खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जाएंगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र Incident Commander ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जाएंगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपार्टमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदधारक पदाधिकारी के बीच से करेंगे। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इनपदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने—अपने स्तर के Incident Commander होते हैं।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 Incident Commander का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाएं,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान—प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरुस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरत मन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- Incident Response Commander को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,

- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के बहुत समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई किया जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिला में हितधारकों एवं उनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

- 1. सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती हैं। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।
- 2. समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चूंकि, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।
- 3. स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई हैं। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेष्ट रह कर क्रियाशील होती हैं। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं हैं तथा सीधे जिले के सम्पर्क में हैं।
- 4. व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं।** उनके जीवन की गुणवत्ता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चूंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारक का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते हैं, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती हैं। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि

ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते हैं, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं। हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होना चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते हैं।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

आपदा कि स्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते हैं :—

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना मिलने पर की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना अपने स्वयं से प्रयास कर आपातकालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पूष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.), आपातकालीन सेवा कार्य (इ.एस.एफ.) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इ.ओ.सी.) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपातकालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अन्तर्गत —

- अपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, त्वरित रिस्पॉस दल (क्यू.आर.टी.) को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के त्वरित रिस्पॉस दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।

- अपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- अपातकालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ङ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे तथा त्वरित प्रत्युत्तर दल (व्यू.आर.टी.), आपदा प्रबंधन दल (डी.एम.टी.), आपातकालिक समर्थक कार्य (ई.एस.एफ.) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ.आर.टी.) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपातकालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :- जिला के वरीय उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, अपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला आपदा दल, व्यू.आर.टी., एफ.आर.टी., कार्य प्रत्युत्तर दल, ई.एस.एफ. आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर के एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामग्रियां प्राप्त की जायगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेन्सियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु विहित पदाधिकारी को सौंपेंगी।

7.3 प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियाँ को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, डी.एम.टी. आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

○ 7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :—

आपदा का प्रकार	उत्तरदायी विभाग / एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात,		<ul style="list-style-type: none"> ● जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ● जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र / राज्य आपातकालीन केन्द्र ● जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। 	
भीड़—भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	<ul style="list-style-type: none"> ● दूरसंचार निगम, ● आकाशवाणी, ● दूरदर्शन, ● पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच. एफ./भी.एच.एफ. ● मोबाइल सेवा प्रदाता/दूरभाष 	<ul style="list-style-type: none"> ○ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ○ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन। ○ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ○ मौसम विभाग से संपर्क। <ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना। ● टटबंदों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। ● क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। ● बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एवं दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन। ● वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है। 	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्निसेवा ● पुलिस ● पंचायत 	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल करना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना। 	
सूखा	● आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ● मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी। 	

7.3.2 कार्यों का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	प्राकृतिक एवं मानव जनित	<ul style="list-style-type: none"> ○ आपातकालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। ○ जिला आपदा प्रबंधन समिति आपातकालीन सेवा कार्य तथा आपात कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षणपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना। ○ आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की सक्रिय करना। ○ नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। 	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
• अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	बाढ़/भूकम्प	<ul style="list-style-type: none"> ○ स्थिति की गंभीरता का आकलन। ○ क्षति का प्रारंभिक आकलन। ○ राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। ○ सेना की माँग। ○ हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य व्यवस्था, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु ○ मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। ○ राहत एवं बचाव कार्यों का जिला/प्रखण्ड/नगर/पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी। 	
• जिलाधिकारी। • पुलिस।	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> ● भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। ○ कंट्रोल रूम को चालू रखना। ○ अग्नि रथल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। ○ डिवाइडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को अवाधित रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना। 	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स • आपदा प्रबंधन विभाग	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> ○ अनुश्रवण। ○ सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। 	

• 7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
<ul style="list-style-type: none"> ● जिला प्रशासन, ● अंचलाधिकारी, ● अग्निशमन दल, ● नागरिक सुरक्षा समिति, ● पुलिस, ● होमगार्ड ● राज्य आपदा मोचन दल, ● राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, ● लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ● स्वयंसेवी संगठन ● रेड क्रॉस सोसाइटी ● एन.जी.ओ. ● एवं अन्य हितधारक 	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबने की घटना, नाव दुर्घटना, भीड़—भगदड़, व्रजपात आदि	<ul style="list-style-type: none"> ○ खोज एवं निष्क्रमण(Evacuation) करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल (Evacuation Team) की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। ○ खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। ○ सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। ○ प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। ○ अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। ○ राहत शिविरों में रहने, खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। <ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव—नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) ○ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। ○ बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पोलीथीन शीट का वितरण। ○ राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। ○ तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण। <ul style="list-style-type: none"> ● राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। ● मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना। ● अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। ● सहायता केन्द्र स्थापित करना। ● क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। ● अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना। 	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति/सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
		<ul style="list-style-type: none"> ● राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। ● मृतक एवं घायल को अनुदान प्रदान करना। ● अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। ● सहायता केन्द्र स्थापित करना। ● क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। ● अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना। 	

<ul style="list-style-type: none"> ● कृषि विभाग ● आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग ● सहकारिता विभाग ● वित्त विभाग / कृषि विभाग ● सहकारिता विभाग ● पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ● समाज कल्याण विभाग ● शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ● ग्रामीण विकास विभाग ● आपदा प्रबंधन विभाग 	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> ○ आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। ○ फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। ○ फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। ○ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। ○ बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। ○ पशु संसाधन की देखभाल ○ सामाजिक सुरक्षा ○ मध्याहन भोजन की व्यवस्था ○ रोजगार सृजन। ○ मुफ्त साहाय्य।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 7.3.4 शव एवं मलवा निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
<ul style="list-style-type: none"> ● जिला पुलिस ● जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी। 	<ul style="list-style-type: none"> ● शवों का फोटो रखना। ● मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। ● आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान। 	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> ● नगर निकाय ● ग्राम पंचायत ● पुलिस प्रशासन ● रेड क्रॉस सोसाईटी ● स्वयंसेवी संगठन ● जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी 	<ul style="list-style-type: none"> ○ आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल-पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान। 	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा सरंचनात्मक ढांचे के साथ फसल बाग बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितों को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

आपदायें विध्वंशकारी होती हैं, जिसमें बुनियादी संरचनाएँ नष्ट हो जाती हैं और उससे काम काज में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना में मनुष्यों और पशुओं का भी क्षति होता है। आपदा के टलने के पश्चात् उसकी विभिन्निका के अनुसार बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये क्षति आकलन के तरीके क्या होंगे तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा।

भीषण आपदाओं के दौरान संरचनाओं में व्यापक क्षति होने के कारण अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन-यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है।

यूएनआईएसडीआर द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :-

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resilient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाऊ विकास' (Sustainable Development) तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' (Build-Better-Better) की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation)** : किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery)** : आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं सवारश्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुनर्स्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाऊ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जिसे भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुनर्प्राप्ति कहेंगे।
- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तात्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तात्कालीन क्रिया-कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ ही संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायें। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।
- इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।
- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation)** : आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उने रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment) : आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या—3601 दिनांक—30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते हैं। खंड-2 में अनुलग्नक-32 पर द्रष्टव्य है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतसंरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एवं विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आधात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाऊ विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो-सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	<ul style="list-style-type: none"> • मृतकों के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियों को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया। 	समुदाय, मुखिय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	<ul style="list-style-type: none"> • घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा। 	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	<ul style="list-style-type: none"> • आपदा के उपरांत सरकारी भवनों में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता लेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे। 	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत / पुनर्निर्माण,	<ul style="list-style-type: none"> • संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे। 	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	<ul style="list-style-type: none"> • निजी मकानों को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का व्योरा एकत्र करना। 	अंचलाधिकारी
6	कृषि /	<ul style="list-style-type: none"> • फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, 	प्रखंड कृषि पदाधिकारी

	पशु संसाधन	रकबा एवं भू-मालिकों के व्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना।	बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित / संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितों को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस.डी.आर.एफ.एवं एन.डी.आर.एफ.) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जोन वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत। राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड़दों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा—सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है—
 - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
 - अग्निकांड पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
 - अग्निकांड से होने वाले फसल क्षति के विरुद्ध अनुदान,
 - गैस लीक से अग्निकांड से पीड़ित को अनुदान,
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिकी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कूटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी—कभी इन हादसों के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम—काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो—सामाजिक संघातों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वाप्सी : बहु—आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वाप्सी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

=====

अध्याय : 9
बजट एवं वित्तीय संसाधन
BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

गोपालगंज जिला आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत बहु-आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है, साथ ही इनके प्रभावों को कम करने के लिए न्यूनीकरण का सतत प्रयास किया जाना है। इसके अलावा आपदा घटित हो जाने पर प्रशासन को ढेर सारी प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स) कार्य करना होता है। इन सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होगी। इस हेतु निधि के कौन-कौन से संभाव्य तरीके हो सकते हैं जिसकी पहचान करने की जरूरत है। इस अध्याय में विभिन्न कार्य-कलापों हेतु निधि के श्रोत के बारे में उल्लेख किया गया है।

9.1 अधिनियम में प्रावधान : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा-48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा -48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों..... के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"— (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा-48(2) में वर्णन है कि उपधारा-(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियों जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.2 विभिन्न निधि स्रोत : इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (फंड) तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि(फंड) का प्रावधान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि(फंड) का प्रावधान का जिक्र है। इन निधियों से 'रिस्पॉस एवं मिटिगेशन' कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उपरोक्त कार्यों के लए अधिनियम में जिला स्तर पर भी निधि जारी करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आपदाओं हेतु तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि (मानदर 2015–20) को अपनाया है जिससे भुगतान किया जाता है। 14वीं वित्त आयोग के निदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय आपदाएँ घोषित कर रखी हैं जिस हेतु 'रिस्पॉस फंड' में प्राप्त कुल राशि 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खर्च में उपयोग किया जा सकता है।

आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी निधि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपदा के उपरांत पुनर्निर्माण प्रक्रिया में यदा-कदा स्थानीय सांसदों हेतु उपलब्ध (प्रति सांसद/प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये) निधि का भी उपयोग किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना के तहत निम्नलिखित शीर्षों में निधि की आवश्यकता पड़ सकती है। वे हैं –

- आधारभूत संरचना का निर्माण
- आवर्ती गतिविधियाँ
- खोज बचाव व राहत उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापन
- मरम्मत एवं रखरखाव
- स्थापना खर्च ।

9.3 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम (Central Govt. Plan & Non Plan Schemes) :-

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग / संभाग / एजेंसी
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	● पंचातय स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते हैं।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन

		● सामाजिक वानिकी।	
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली—नाली का स्थापन एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना—2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	आपदा प्रबंधन/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग, (रुरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण —आई.सी.डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामुहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एवं चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	आशा कार्यकर्ता	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	मिड-डे-मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड-डे-मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के तीन गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 05 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा	आपदा प्रबंधन विभाग

	आयोग(2015–20)	हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज / नगर पालिका
23	आपदा मोर्चन (Response) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा-48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
24	जिला आपदा शमन (Mitigation) निधि	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा-48(1) एवं (2) के अनुरूप उपलब्धता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
25	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.4 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदओंसे प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर।

1973
पत्रांक 1प्रा0आ0-17 / 2015 / / आ0प्र०
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 26/5/15

विषय:

वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), जयसिंह रोड, नई दिल्ली के पत्रांक 32-7 / 2014-एन0डी0एम0-1 दिनांक-08.04.2015 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2015–2020 तक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक-17.04.15 द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह करवारी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशासा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32-7 / 2014-एन0डी0एम0-1 दिनांक-08.04.2015 द्वारा निर्धारित निम्नांकित साहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2015 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह मानदर दिनांक 01.04.2015 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं तथा माह करवारी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए लागू होगा।

	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं वर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	₹ 1,800.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 2,000.00 प्रति परिवार वर्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	<p>Rs.60 per adult and Rs. 45 per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.</p> <p>Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.</p>
	(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान।	<p>₹ 60.00 प्रति व्यक्ति एवं ₹ 45.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि विहित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलाधार पहुँचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस०डी०आर०एफ० के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन०डी०आर०एफ० के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➤ सामान्य रिथ्टि में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आकर्षण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति सामय रीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस०डी०आर०एफ० के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना

		चाहिए।
2	SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	<p>As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).</p> <p>- By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]</p>
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की सभावना वाले व्यवित्यों का निष्कासन।	<p>वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा।</p> <p>➤ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियों समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं।</p>
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	<p>As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).</p> <p>The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.</p>
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल साहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	<p>वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा।</p> <p>➤ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।</p>
3	RELIEF MEASURES/ राहत कार्य	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	<p>As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or</p>

		widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित / निष्कासित / राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्रा, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति / भूकम्प / बाढ़ से बड़े पैमाने की तबाही की स्थिति में सहायता की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सभी रीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	> एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। > सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ वचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना / अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वार्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive committee can extend the time

		period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25 % of SDRF allocation for the year.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकर्षिक पैथ जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सभय सीमा में वृद्धि किया जा सकता है। परन्तु कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 25 % से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team (in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	सहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcasses	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
5	AGRICULTURE/ कृषि	
(i)	Assistance farmers having landholding upto 2 ha./ 2	

	हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक कृषकों को सहाय्य।	
I	Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	Rs. 12,200/- per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 12,200.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (यशर्त कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs. 37,500/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records. ₹ 37,500.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	Input subsidy (where crop loss is 33% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 33%) या उससे अधिक हुआ हो।	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs. 6,800/- per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs. 13,500/- per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.1000 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 6,800/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित। ₹ 13,500/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/- रुपये से कम नहीं दी जाएगी।

	b) Perennial crops	Rs. 18,000/- ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs 2000/- and restricted to sown areas
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 18,000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 2000/- रु० से कम नहीं दी जाएगी। बुआई वाले क्षेत्र तक सीमित।
	c) Sericulture	Rs. 4,800/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs. 6,000/- per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 4,800/- प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर मुंगा के लिए
(ii)	Input subsidy to farmers having more than 2 ha of landholding.	<p>Rs.6,800/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs.13,500/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas</p> <p>Rs. 18000/- per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas</p> <p>- Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.</p>
(ii)	कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो।	<p>₹ 6,800/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए।</p> <p>₹ 13,500/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।</p> <p>₹ 18,000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 33 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 2 हेक्टेयर प्रति कृषक।</p>
6	ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	<p>Milch animals - Rs.30,000/- Buffalo/ cow/ camel/ yak/Mithun etc. Rs.3,000/- Sheep/ Goat/Pig</p>

	<p>Draught animals - Rs.25000/- Camel/ horse/ bullock, etc. Rs.16,000/- Calf/ Donkey/ Pony/ Mule</p> <p>- The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animal or 30 small milch animals or 3 large draught animal or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).</p> <p>Poultry:- Poultry @ 50/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs 5000/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.</p> <p>Note: - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.</p>
i) अदुर्घकारी / दुर्घकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	<p>दूध देने वाला जानवर मैस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन इत्यादि ₹ 30,000/- की दर से मैड/बकरी ₹ 3,000/- की दर से</p> <p>अदुर्घकारी जानवर ऊँट/धोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 25,000 की दर से बछड़ा/गदहा और टद्दू ₹ 16,000 की दर से</p> <p>सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह 3 बड़े अदुर्घकारी जानवर या 30 छोटे अदुर्घकारी जानवर या 3 बड़े अदुर्घकारी जानवर या 6 छोटे अदुर्घकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) पॉल्ट्री ₹ 50/- प्रति चिड़ियों की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 5000/- रु० की अधिकतम सीमा</p>

		<p>के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा।</p> <p>टिप्पणी:- इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्प्लूएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिकों को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।</p>
	<p>ii) Provision of fodder / feed concentrate water Supply and medicines in cattle camps.</p>	<p>Large animals- Rs. 70/- per day Small animals- Rs. 35/- per day,</p> <p>Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of The Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.</p>
	<p>ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate सहित जलापूर्ति एवं औषधि हेतु।</p>	<p>बड़ा पशु ₹ 70/- प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 35/- प्रतिदिन की दर से ।</p> <p>साहाय्य प्रदान करने हेतु समय सीमा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा एवं केन्द्रीय दल द्वारा (एनोडीआरएफो से सहायता हेतु) आंकलन किया जाएगा। सहायता के लिए सामान्य अवधि 30 दिनों की होगी जिससे पहली बार में 60 दिनों तक एवं गम्भीर सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति समय सीमा का अवधि विस्तार कर सकती है। कुल व्यय की राशि एसोडीआरएफो के वार्षिक विनियोजन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा जरूरत के आकलन एवं केन्द्रीय दल की सिफारिश (एनोडीआरएफो के मामले</p>

		में) पशुधन की गणना के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार आवश्यक दवा एवं टीकाकरण संबंधित आपदा के अनुरूप दिया जायेगा।
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन०डो०आर०एपफ० से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा। यह अनुदान पशु गणना के आंकलन पर आधारित होगा।
7	FISHERY/ मत्स्य पालन	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	Rs. 4,100/- for repair of partially damaged boats only Rs.2,100/- for repair of partially damaged net Rs.9,600/- for replacement of fully damaged boats Rs.2,600/- for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती/ पुनर्स्थापन— क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित हैं तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 4,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 2,100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 9,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिरक्षापन के लिए ₹ 2,600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए

	ii) Input subsidy for fish seed farm	Rs. 8,200 per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 8,200/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए हैं तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)
8	HANDICRAFTS/HANDLOOM - ASSISTANCE TO ARTISANS/ हस्तशिल्प / हस्तकरघा – कारीगरों के लिए सहायता	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	Rs. 4,100 per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 4,100/- प्रति शिल्पी बशर्ते यह क्षति / प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 4,100 per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 4,100/- प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्ते यह क्षति / प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	HOUSING/ अवास/ मकान	
	a) Fully damaged/ destroyed houses	
	i) Pucca house	Rs. 95,100/- per house, in plain areas.
	ii) Kutch House	Rs. 95,100/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	Rs.1,01,900/- per house, in hilly areas

	(i) पवका मकान (ii) कच्चा मकान	including Integrated Action Plan (IAP) districts. Rs.1,01,900/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आईएओपी जिलों सहित
	b) Severely damaged houses	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पवका मकान (ii) कच्चा मकान	
	(c) Partially Damaged Houses -	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 5,200/- per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 3,200/- per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान 	
	(i) पवका (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 5,200/- प्रति मकान
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो	₹ 3,200/- प्रति मकान
	d) Damaged / destroyed huts:	Rs. 4,100/- per hut, <i>(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)</i>
		<i>Note: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government</i>
	(घ) क्षतिग्रस्त / बर्बाद झोपड़ी	₹ 4,100/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब— अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली भिट्ठी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उवित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत सरचना होनी चाहिए।
	e) Cattle shed attached with house	Rs.2,100/- per shed.
	(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 2,100/- प्रति पशु शेड

10	INFRASTRUCTURE/ संरचना	अधारभूत	
	<p>Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:</p> <p>(1) Roads & bridges (2) Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayat.</p> <p>Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/ resources, are excluded.</p>	<p>Activities of immediate nature : Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix.</p> <p>Assessment of requirements : Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).</p> <p>- As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) • Hills: upto 20% of total of OR and PR. • In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for state Highway and Major District Road and @Rs. 0.60 lakh/km for rural road. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. • In case of repairs of Bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh per damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the embankment portions, on par with the case 	

		<p>of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible for assistance @ Rs 1.5 lakh/damaged structure. Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centres, Anganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs 2 lakh/damaged structure. Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, poles and transformers upto the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
	<p>अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनरस्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलाधार्पति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनरस्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियों।</p> <p>Telecommunication और उर्जा जैसे Sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनरस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनरस्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) हैं।</p>	<p>तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप :</p> <p>तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।</p> <p>आवश्यकताओं का आंकलन :</p> <p>आवश्यकताओं के आंकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधर पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जायेगा।</p> <p>➤ सड़कों की मरम्मति के संबंध में भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रखा-रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चक्कावात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय:</p> <ul style="list-style-type: none"> सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र— कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत

	<ul style="list-style-type: none"> • सङ्कों की मरम्मति के मामले में सहायता अधिसूचित साधारण मरम्मत (OR) राज्य के आवधिक नवीकरण (PR) के आधार पर दिया जाएगा। यदि OR एवं PR दर उपलब्ध नहीं है तब सहायता राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला रोड के लिए ₹0 1.00 लाख/कि०मी० एवं ग्रामीण सङ्कों के लिए ₹0 0.60 लाख/कि०मी० की दर से दिया जाएगा। राज्य पहले अपने बजट प्रावधान में नियमित रस्ख-रस्खाव एवं मरम्मति के लिए उपबंधित राशि का उपयोग करेगा। तत्पश्चात राशि का मांग किया जा सकेगा। • पुल एवं सिंचाई के कार्यों में मरम्मति के मामले में सहायता संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित दर अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए सहायता ₹0 1.50 लाख प्रति परियोजना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बहाली के लिए भी सहायता तटबंध भाग के लिए दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण सङ्कों के मामलों में भी सहायता दिया जाएगा, परन्तु किसी परियोजना के मामलों में दोहराव नहीं किया जाएगा। • क्षतिग्रस्त पेयजल की योजनाओं के मामले में मरम्मत हेतु सहायता ₹0 1.50 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना अनुमान्य होगा। • क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों के स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी और समुदाय की सम्पति की मरम्मति हेतु सहायता ₹0 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त संरचना दिया जाएगा। • क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र के मामले में मरम्मत हेतु सहायता 11 KV के ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर, एवं पोल के लिए दिया जाएगा। सहायता की दर ₹0 4,000 प्रति पोल, क्षतिग्रस्त कन्डक्टर के लिए ₹0 0.50 लाख प्रति कि०मी० तथा क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए ₹0 1.00 लाख प्रति ट्रांसफॉर्मर देय होगा।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. PROCUREMENT/ खरीद

		SDRF.
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, व्यावहारिक समिति के अंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➤ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
12	Capacity Building / क्षमता निर्माण	<p>Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF. <p>➤ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के अंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0डी0आर0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➤ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

Note: (i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary-oriented assistance is necessary/ mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojana etc.) of the beneficiary.

3. पूर्व की भाँति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ङ) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वीटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 3000/- (तीन हजार) रुपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014 एन0डी0एम0-1 दिनांक-08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदर विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित रथानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) यथा— वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबों/ गड्ढों में झूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा— सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना के घटित होने की दशा में भी उपरोक्त मानदर जो 2015 से

2020 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक—01.04.2015 के प्रभाव से लागू होगा तथा
एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से
अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद
ही प्रभावित होंगे।

(M2615)
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

APPENDIX
(Item No. 10)
Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

- i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
- ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

- i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii) Repair of breached culverts.
- iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges.. repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

- i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
- ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
- iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.
- iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

- a) Repair of village internal roads.
- b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c) Repair of internal water supply lines.
- d) Repair of street lights.
- e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, anganwadi, etc.

6. Power: Poles/ conductors and transformers upto 11 kv.

(परिशिष्ट मद संख्या-10 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:-

1. पेय जलापूर्ति:

- I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त घबूतरों / रिंगवेल्स/सिग्र-टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।
- II. क्षतिग्रस्त पाइप लेन्थ (नई पाइप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
- III. क्षतिग्रस्त पैपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।

2. सड़क:

- I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।
- II. दरारयुक्त दूटे पुलियों की मरम्मति।
- III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
- IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के सभीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काउजेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनःस्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. सिंचाई:

- I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, वालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/चाज मिस्त्री का कार्य।
- II. बध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपिंग या रेट होक्स) की मरम्मति।
- III. नहर और जल निकासी तंत्र से बनस्पति सामग्री/सकान बनाने की सामग्रियाँ/नलबां का बाहर निकालना।
- IV. शूष्म, मध्यम एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मति।

4. स्वास्थ्य:

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/मवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5. पंचायतों की सामुदायिक परिराम्पतियाँ:

- (क) गौव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।
- (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
- (ग) आंतरिक जलापूर्ति लाइन की मरम्मति।
- (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।
- (ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों सामुदायिक होल, आंगनधाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।

6. ऊर्जा : पोल/ कन्डकटर एवं 11 केवी के ड्रांसफॉर्मर।

7- The assistance will be considered as per the merit towards the following activities:

	Items/ Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damage primary school building Higher secondary/ middle/ college and other educational	Up to Rs. 1.50 lakh/unit
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs. 1.50 lakh/unit
iii)	Electric poles and wires etc.	Normative cost (upto Rs 4000 per pole and Rs 0.50

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

क्र.सं.	विवरण	RS. 0.00 LAKH/UNIT
vii)	Drinking water scheme	Upto 1.50 lakh/unit
viii)	Irrigation Sector: Minor irrigation schemes/Canal Major irrigation scheme Flood control and anti Erosion Protection work	Upto Rs. 1.50 lakh/scheme Not covered Not covered
ix)	Hydro Power Project/HT Distribution systems/Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt. Buildings viz. departmental/office building, departmental/residential quarters, religious structures, patwarkhana, Court premises play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/Permanent restoration work incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered (however, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters).
xv)	Procurement of equipments/machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

* If OR & PR rates are not provided by the State.

9.5 अन्य श्रोत (Other Options) : इसके अतिरिक्त बीमा निगम के विभिन्न योजना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा राहत कोष में प्राप्त निधि को इन कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

=====

अध्याय—10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन विशेष रूप से आपदा प्रबंधन योजना जैसी महत्वपूर्ण विषय की गुणवत्ता का वृद्धि करता है। प्रत्येक योजना में परिकल्पित (Envisaged) लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उस योजना के क्रियान्वयन काल में इसका सतत अनुश्रवण अत्यंत आवश्यक है।

यदि भविष्य में भी या पुनः इसी योजना को क्रियान्वित करनी पड़े तो पूर्व में क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन कर यह जाना जा सकता है कि किस हद तक परिकल्पित लक्ष्यों उद्देश्यों को हासिल किया गया। अतः सतत क्रियान्वित होने वाली योजना का समय-समय पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण जरूरी एवं लाभप्रद होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बार-बार घटित होने वाली आपदा से जनता को अक्षुण रखने तथा आपदा जोखिम में उत्तरोत्तर कमी लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित होने वाली योजना है। अतः इसका सतत अनुश्रवण, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जायेगा। इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि के साथ कई स्तरों पर किया जाएगा।

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan) : योजना का सतत अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायगा—

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराएँ :-

31(4) — जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) — उपधारा(2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) — जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) — जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 — जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये—

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती हैं। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनरप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति व्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिये। इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना का प्रभावशीलता की जाँच :— प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासों (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यों में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुये हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते हैं या आपदा की विभिन्निका को घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :— जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र-छात्रा तथा शिक्षक-प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय-समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :— योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गांठटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :— जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरण (Updation of Plan) :— जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासों की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमें लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :— सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय—समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 समन्वय (Co-ordination) :— सभी हितभागी एजेंसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेंगे। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होंगे दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशों का पालन करेंगे।

10.1.10 जन जागरूकता (Public Awareness) :— जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा जिला के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

=====